

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)
ORIGINAL APPLICATION NO. 97 OF 2022**

Kamal Tiwari

VERSUS

Union of India & others
PAPER BOOK INDEX

Sl. No.	Description of Documents with Annexure No.	PAGE NO.
1.	Memo of the Original Application with synopsis and chronology of events.	1-28
2.	Affidavit in support of Original Application.	29
3.	DOCUMENTS :	
(a)	ANNEXURE – A/1 Photo copy of order dated 21/11/1961.	30-31
(b)	ANNEXURE – A/2 Photo copy of Notification dated 22/09/1980.	32-33
(c)	ANNEXURE – A/3 Photo copy of Notification dated 08/03/2019.	34-65
(d)	ANNEXURE – A/4 Photocopy of Letter No. F.7(2) REV/A/70.	66
(e)	ANNEXURE – A/5 Photocopy of the Jamabandi of Samvat 2069-2072.	67
(f)	ANNEXURE – A/6 Photocopy of Minutes of meeting dated 23/12/2021.	68-70
(g)	ANNEXURE – A/7 Photocopy of Jamabandi concerned.	71
(h)	ANNEXURE – A/8 Photocopy of Complaint dated 19/01/2022.	72-73
(i)	ANNEXURE – A/9 Photocopy of First Information Report, Mauka Panchnaama and receipt dated 22/01/2022.	74-76
(j)	ANNEXURE – A/10 Photocopy of letter dated 20/12/2021.	77
(k)	ANNEXURE – A/11 Photocopy of letter dated 31/01/2022.	78
(l)	ANNEXURE – A/12 Photocopy of letter dated 10/02/2022.	79
(m)	ANNEXURE – A/13 Photocopy of Letter dated 25/04/2022 alongwith Factual report.	80-81

(n)	ANNEXURE – A/14 Photocopy of Survey Report dated 08/06/2022.	82-83
(o)	ANNEXURE – A/15 Photocopy of Reminder dated 12/09/2022.	84-87
(p)	ANNEXURE – A/16 Photocopy of Factual Report dated 23/09/2022.	88-91
(q)	ANNEXURE – A/17 Relevant Photographs.	92-94
(r)	ANNEXURE – A/18 Photocopy of legal notice dated 31/10/2022.	95-100
6.	Affidavit in support of documents.	101
7.	Demand Draft & Vakalatnama	102

COUNSEL FOR THE APPLICANT

[Signature]
R/895/2000
[Keishan Sharma]
Adv.

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

(M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 97 OF 2022

Kamal Tiwari

VERSUS

Union of India & others

COMPILATION-1

S.No.	Particulars of Documents	Annexures	Page No.
1	Memorandum of application along with synopsis and chronology of events.		1-28
2	Affidavit		29

PLACE: BHOPAL

DATED: 105-12/2022

1 kr R/895/2020
Counsel for Applicant

(Krishan Sharma/ Pawan Sharma/ R.P. Meena) Advocates

Add- Chamber No. 178, Old Bldg.,
Rajasthan High Court, Bench Jaipur at
Jaipur (Raj)

E-mail: advocatekrishana@gmail.com

Mob.- 9982765049

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 97 OF 2022

Kamal Tiwari

VERSUS

Union of India & others

SYNOPSIS

- i. That Government of Rajasthan had issued an order under Section 20 of Rajasthan Forest Act, 1953, on 21/11/1961 and acquired the land of Nahargarh Village to be the Reserve Forest with effect from 15/01/1962.
- ii. That Government of Rajasthan had further issued a notification No.F-11(39) Rajasthan 8/80 on 22/09/1980 under Section 18 of Wildlife Protection Act, 1972 by which the reserve forest declared by Order dated 21/11/1961, has declared to be Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is submitted that at the time of issuance of notification dated 22/09/1980 the Boundaries of Sanctuary got decided.
- iii. That Govt. of India has also issued a gazette notification on 08/03/2019 by which the Eco- Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary got declared. It is also submitted that Eco- Sensitive Zone shall be from 0-13 Kms. around the Sanctuary Boundaires of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is also submitted that by the way of notification dated 08/03/2019, some essential activities for local residents were allowed and rest of the commercial activities were prohibited.
- iv. That Khasra No.10 situated at Village Bir Papad/ Papad, Jaipur is recorded as Gair Mumkin Nala in the name of Forest department. Applicant has obtained the information about Khasra No.10 situated at Village Bir Papad/Papad, Jaipur and As per the official website of Government of Rajasthan namely Apna Khata Khasra No.10 (Supra) is recorded as Gair Mumkin Nala in the name of Forest



department and it is integral part of Nahargarh Wildlife Sanctuary.

- v. That Applicant has made a Complaint to Chief Secretary, Government of Rajasthan regarding non-forest activities upon forest land without prior permission from Forest Department on 19/01/2022 and Copy of this Complaint was also served upon Additional Chief Secretary (Forest), District Collector Jaipur, Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Chief Wildlife Warden, Chief Conservator of Forests, Deputy Conservator of Forests, Assistant Conservator of Forests, Regional Forest Officer, Nahargarh and Managing Director RIICO. Applicant in above complaint alleged that illegal construction is being carried on upon forest land without prior approval of forest department in order to construct and Pucca Nala and at the same time the untreated effluents are being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary, which is the violation of Mandatory provisions of Wildlife Protection Act, 1972 and also violates the mandatory stipulations mentioned under the Notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary and prayed that Pucca Construction made for the purpose of Pucca Nala be demolished and other suitable arrangements be made in order to prevent the non-forest activities upon Forest land.
- vi. That in furtherance of Complaint submitted by the Applicant, Forester, Naka Maylabagh, Range Nahargarh of Nahargarh Wildlife Sanctuary has registered a First information report in presence of two competent witnesses against one Dhokhan Singh for construction of Pucca Nala in order to discharge untreated effluents and Industrial waste and at the same time penalty of Rs. 2 Lakh was imposed upon said Dhokhan Singh further Mauka Panchnama was prepared by Forester.
- vii. That Regional Forest Officer, Nahargarh Wildlife Sanctuary has wrote a letter on 20/12/2021 to Manager RIICO regarding pursuing illegal work upon forest land. It is

submitted that Regional Forest Officer in its above letter stated that it has been noticed by forest officials that work of leveling of forest land and Construction of Pucca Nala upon forest land is being done by RIICO illegally which is made prohibited under Forest Conservation Act, 1980 and Wildlife Protection Act, 1972 and Manager of RIICO was directed to apprise the forest department regarding all these activities and in what capacity these activities are being done.

- viii. That Regional Forest officer has also wrote a letter to Senior Manager, RIICO on 31/01/2022 and stated that RIICO has constructed Two Pucca drains upon the Land belonging to Nahargarh Wildlife Sanctuary and untreated effluents and Industrial waste are being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary, which is not in consonance with environmental goals and Regional Forest Officer has directed to Senior Manager, RIICO to remove Pucca Construction and Stop discharge of untreated effluents and Industrial waste in Nahargarh Wildlife Sanctuary.
- ix. That Regional Forest Officer has further wrote a letter to Senior Manager, RIICO on 10/02/2022 regarding stoppage of untreated effluents and demolition of Pucca Nala from the land belonging to Nahargarh Wildlife Sanctuary. It has been mentioned in above letter that discharge of untreated effluents, construction of Pucca Nala upon forest land and Plotting and Levelling of forest land is violation of Wildlife Protection Act, 1980, Wildlife Protection Act, 1972 and Notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary and Senior Manager RIICO was directed to stop these activities forthwith, but these activities are still in operation and not stopped so far.
- x. That subsequently Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo Jaipur has wrote a letter to Chief Conservator of Forests on 25/04/2022 and apprised him regarding factual position of Khasra No.3 situated at Bir Papad/Papad, Jaipur and stated that untreated effluents and Industrial Waste are being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary which is


against the Wildlife Protection Act, 1972, Forest Conservation Act, 1980 and Notification of Eco Sensitive Zone and it has been suggested by Deputy Conservator of Forests that a joint survey is necessary to be conducted in presence of Officilas of Forest Department and RIICO in order to settle the dispute relating to boundaries.

- xi. That in furtherance of directions issued by Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo, Jaipur, Surveyor of Forest Department in presence of Forester, Maylabagh, Range Nahargarh of Nahargarh WildlifeSanctuary and One representative of RIICO has conducted a suvery on 08/06/2022 and during the course of survey it has been transpired that Khasra No.3 has been transferred to RIICO by Government order issued in 1971 for the purpose of establishment of Industries and it has also been found during survey that Khasra No.10 is recorded as Gair Mumkin Nala in the name of Forest department and it is adjoining to Khasra No.3 which is recorded in the name of RIICO. It has also been found that RIICO has leveled almost 1100 Sq. meter of Forest land and as per the representative of RIICO a road is proposed upon land of Khasra No.10, which would be constructed upon 500 Sq. meter Land of Khasra No.10. Ultimately Suveyor has issued directions to RIICO that no plotting and leveling shall be conducted upon Land situated in Khasra No.10 and Two Pucca drains are also under construction for the purpose of discharging untreated effluents and Industrial waste, which is illegal and against the strict forest laws, it is paramount to note here that Surveyor has exceeded his jurisdiction and issued a vague direction that treatment plant be established and only pure water be discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary. Surveyor had not any authority to issue such directions as he was authorized to conduct survey only, no one can pass directions beyond the jurisdiction and jurisdiction of surveyor was to conduct survey and submit

- the report in the office of Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo.
- xii. That Applicant has sent reminder to responsible officers of Government of Rajasthan including Forest Officers aggrieved with the inaction of Responsible Authorities on 12/09/2022 and also submitted relevant documents and photographs for their perusal.
- xiii. That subsequently Assistant Conservator of Forests, Nahargarh has prepared a factual report of the matter in question on 23/09/2022 and It has been found by Assistant Conservator of Forest, Nahargarh Non-forest activities are being done RIICO upon forest land without obtaining Wildlife Clearance and these activities have been strictly prohibited under Notification of Eco Sensitive Zone related to Nahargarh Wildlife Sanctuary. Assistant Conservator of Forest, Nahargarh has also relied upon letters wrote down by Regional Forest Officer in which he issued some directions to Senior Manager of RIICO as to stoppage of non-forest activities upon forest land and within Eco-Sensitive Zone. It is also submitted that in point 8 of factual report Assistant Conservator of Forests has mentioned about the Survey Conducted by Surveyor in presence of Forester, Naka Maylabagh and One representative of RIICO and in this survey it has been noticed that Khasra No. 10 and Khasra No.3 are adjoining Khasras and Khasra No.3 is integral part of Nahargarh Wildlife Sanctuary and Vankhand Amer 54 and it has been further noticed in survey report that Land of Khasra No.10 has been leveled without raising any alarm to forest department and Two Pucca drains are present upon Khasra No.10 for the purpose of discharging untreated effluents and Industrial waste. Assistant Conservator of Forests has accepted the assertion of Applicant that no permission has been taken from forest department for all these non-forest activities. It is submitted that Plotting is also present upon the land of Khasra No.3 and non-forest activities are being carried

upon Khasra No.3 and 10, which is gross violation of Wildlife Protection Act, 1972, Forest Conservation Act, 1980 and Notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary.

- xiv. That Applicant has visited the disputed place and found that apart from discharge of untreated effluents, illegal leveling of forest land and plotting upon and near forest land, particularly in Khasra No.3. Applicant has found that Khasra No.10 is being used as dumping yard as RIICO has placed and used to throw Garbage and Industrial waste upon the Land in Khasra No.10 moreso RIICO has started throwing and disposing the Solid Industrial Waste upon the boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary, which is against the mandatory provisions of Wildlife Protection Act, 1972, Forest Conservation Act, 1980 and Notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary further it is gross violation of guidelines imparted by Hon'ble Apex Court by order dated 12/12/1996 in Case of T.N. Godavarman. Applicant has clicked photographs of disputed place which would be relevant in present case.
- xv. That Applicant has sent legal notice through his counsel to various authorities of Government of Rajasthan including Forest officers on 31/10/2022 by registered post but no heed was paid towards it.
- xvi. Hence this Original Application.

 R/895/2000
COUNSEL FOR THE APPLICANT
[Keishan Shermag]
Adv.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 97 OF 2022

Kamal Tiwari

VERSUS

Union of India & others

CHRONOLOGICAL EVENTS

S.No.	DATES	EVENTS
1	21/11/1961	That Government of Rajasthan had issued an order under Section 20 of Rajasthan Forest Act, 1953, on 21/11/1961 and acquired the land of Nahargarh Village to be the Reserve Forest with effect from 15/01/1962.
2	22/09/1980	That Government of Rajasthan had further issued a notification No.F-11(39) Rajasthan 8/80 on 22/09/1980 under Section 18 of Wildlife Protection Act, 1972 by which the reserve forest declared by Order dated 21/11/1961, has declared to be Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is submitted that at the time of issuance of notification dated 22/09/1980 the Boundaries of Sanctuary got decided.
3	08/03/2019	That Govt. of India has also issued a gazette notification on 08/03/2019 by which the Eco-Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary got declared. It is also submitted that Eco- Sensitive Zone shall be from 0-13 Kms. around the Sanctuary Boundaires of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is also submitted that by the way of notification dated 08/03/2019, some essential activities for local residents were allowed and rest of the commercial activities were prohibited.


4	20/12/2021	Regional Forest Officer Nahargarh has apprised Manger RIICO by sending a letter regarding non-forest and commercial activities upon forest land and directed him to stop these activities forthwith.
4.	19/01/2022	Applicant has made complaint to various authorities of Government of Rajasthan regarding non forest and anti environment activities upon forest land within Eco Sensitive Zone, which is huge violation of Forest laws.
5.	22/01/2022	That in furtherance of Complaint submitted by the Applicant, Forester, Naka Maylabagh, Range Nahargarh of Nahargarh Wildlife Sanctuary has registered a First information report in presence of two competent witnesses against one Dhokhan Singh.
6.	31/01/2022	By serving upon this letter Regional Forest Officer has directed to Senior Manager, RIICO to remove Pucca Construction and Stop discharge of untreated effluents and Industrial waste in Nahargarh Wildlife Sanctuary.
7	10/02/2022	By the way of this letter Senior Manager RIICO was directed to stop these activities forthwith, but these activities are still in operation and not stopped so far.
8	25/04/2022	That subsequently Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo Jaipur has wrote a letter to Chief Conservator of Forests on 25/04/2022 and apprised him regarding factual position of Khasra No.3 situated at Bir Papad/Papad, Jaipur and stated that untreated effluents and Industrial Waste are being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary.

9	08/06/2022	That in furtherance of directions issued by Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo, Jaipur, Surveyor of Forest Department in presence of Forester, Maylabagh, Range Nahargarh of Nahargarh Wildlife Sanctuary and One representative of RIICO has conducted a survey on 08/06/2022 and during the course of survey it has been transpired that Khasra No.3 has been transferred to RIICO by Government order issued in 1971 for the purpose of establishment of Industries and it has also been found during survey that Khasra No.10 is recorded as GairMumkin Nala in the name of Forest department.
10	12/09/2022	That Applicant has sent reminder to responsible officers of Government of Rajasthan including Forest Officers aggrieved with the inaction of Responsible Authorities on 12/09/2022 and also submitted relevant documents and photographs for their perusal.
11.	23/09/2022	That subsequently Assistant Conservator of Forests, Nahargarh has prepared a factual report of the matter in question on 23/09/2022 and It has been found by Assistant Conservator of Forest, Nahargarh Non-forest activities are being done RIICO upon forest land without obtaining Wildlife Clearance and these activities have been strictly prohibited under Notification of Eco Sensitive Zone related to Nahargarh Wildlife Sanctuary.
12	31/10/2022	That Applicant has sent legal notice through his counsel to various authorities of Government of Rajasthan including Forest officers on 31/10/2022 by



		registered post but no heed was paid towards it.
13.	29/11/2022	Applicant even after sending the legal notice has approached the respondents many times but no heed was paid towards the same and ultimately Applicant has appeared in person before concerned authorities on 29/11/2022 and advanced the factual position but nothing has been done so far.
14.	05/12/2022	Hence being aggrieved with the inaction of respondents this original application is being preferred by him without any delay.

Place: Bhopal
Dated: 05.12.2022

Counsel for Applicant 
(Krishan Sharma/ Pawan Sharma/ R.P. Meena) R/895/2000
Advocates
Add- Chamber No. 178, Old Bldg., Rajasthan High
Court, Bench Jaipur at Jaipur (Raj)
E-mail: advocatekrishana@gmail.com
Mob.- 9982765049

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)
MEMORANDUM OF APPLICATION

[Under Section 18(1) read with sections 14, 15, 16 & 17 of the
National Green Tribunal Act, 2010]

ORIGINAL APPLICATION NO. 97 OF 2022

Between:

Kamal Tiwari son of Shri Shambhu Dayal Tiwari, aged
about 45 years, resident of 29 Shankar Colony Heeda Ki
Mori, Ramganj Bazar, Jaipur (Rajasthan) 302002 (Mobile
No. 9352538268) (Email-kamalkanttiwari84@gmail.com)

...APPLICANT

VERSUS

1. Union of India through the Secretary, Ministry of
Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India,
Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-
110003 (email-secy-moef@nic.in).
2. State of Rajasthan through the Additional Chief Secretary of
Forests and Wildlife, Government of Rajasthan, Govt.
Secretariat, Jaipur-302005 (Rajasthan). (Email-nihalchand_goel@yahoo.com)
3. The Collector, District Jaipur, Collecterate Campus
Banipark Jaipur-302016 (Rajasthan). (Email-dm-jaip-ri@nic.in)
4. Principal Chief Conservator of Forests, Government of
Rajasthan, AranyaBhawan, Jhalana Institutional Area,

Kamal Tiwari

- JhalanaDoongri, Jaipur-302004 (Rajasthan). (Email-
pccf.raj.forest@rajasthan.gov.in)
5. The Additional Principal Chief Conservator of Forests -cum-
Chief Wildlife Warden, Forest Department, Government of
Rajasthan, AranyaBhawan, Jhalana Institutional Area,
JhalanaDoongri, Jaipur-302004 (Rajasthan).(Email-
pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in)
6. Chief Conservator of Forests (Wildlife), Jaipur, Aranya
Bhawan, Jhalana Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-
302004 (Rajasthan).(Email-
ccfwl.jpr.forest@rajasthan.gov.in)
7. Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo Jaipur,
Ramniwas Bagh, Jaipur-302004(Rajasthan). (Email-
dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in)
8. Managing Director, Rajasthan State Industrial Development
and Investment Corporation Limited, Udhog Bhawan, Tilak
Marg, Jaipur, Rajasthan- 302005. (Email- riico@riico.co.in)
9. Senior Manager, Rajasthan State Industrial Development
and Investment Corporation Limited, Vishwakarma
Industrial Area, Jaipur- 302013 (Rajasthan) (Email-
riico@riico.co.in) .
10. Jaipur vidhyuth vitran nigam limited through its managing
Director vidyut bhawan, janpath jyoti nagar, lalkothi, Jaipur
Rajasthan 302005.(companysecy@jvvnf.org)
11. Sub-Divisional Officer Jaipur First, Collecterate Campus
Banipark Jaipur. 302016(sdo.jai.amr@gmail.com)

Kamal Tiwari

12. Member Secretary, Rajasthan State pollution control Board,

JhalanaDoongri,Jaipur-302002(Rajasthan).

(acp.rpcp@rajasthan.gov.in)

...RESPONDENTS

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The address of the Applicant is as given above for the service of notices of this application and that of his representative. It is submitted that the applicant is a social worker and environmentalist and local resident of Jaipur City (Rajasthan) near the vicinity of Nahargarh Sanctuary Area and he is a wildlife lover and environmentalist who is working for save and protect the wildlife animals as well as environment.
2. The addresses of the Respondents are as given for services of notices of the application.
3. The applicant above-named begs to submit the Memorandum of Application against illegal acquisition of Forest land and development and operation of Industries upon Forest land by Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited and discharge of untreated effluents in Sanctuary Area by Constructing a Pucca Nala towards Nahargarh Wildlife Sanctuary, which is violation of Wildlife Protection Act, 1972

Kamal Tiwari

and Notification issued by Government of India declaring the Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is submitted that large area of lands belonging to Forest has been illegally acquired by Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited without the authority of Central Government and operation of industries at large level is violation of Notification of Eco-Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is further submitted that Discharge of untreated effluents and industrial waste in Sanctuary Area is not permissible according to provisions of Wildlife Protection Act, 1972 and Notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary, Applicant submitted several complaints to various authorities of Govt. of Rajasthan but no effective action has been taken so far, and last time he made a complaint to responsible authorities on 12/09/2022 and subsequently he sent a legal notice to authorities of Government through his Counsel on 31/10/2022 but situation remained same no response was given and , hence being aggrieved with the inaction of Respondents regarding operation of industries and discharge of untreated effluents and non-forest activities upon forest land, Applicant is preferring this Original Application on the basis of facts and grounds as under:-

FACTS IN BRIEF WITH GROUNDS:

- 1) That Government of Rajasthan had issued an order under Section 20 of Rajasthan Forest Act, 1953 on 21/11/1961

Kamul Tiwari

and acquired the land of Nahargarh Village and Other Villages to be the Reserve Forest with effect from 15/01/1962. It is submitted that as per above order Total 30004.607 Acre land was acquired in order to declare the same as reserve forest and after acquisition of total land, same came to be declared reserve forest with effect from 15/01/1962 and It is submitted that land was acquired from the Villages Amer, Manpur Sadva, Vijaymahal, Nahargarh, Bassi Sitarampura, Kishanbagh, Beed Papad, Mahapura/Kukar Kheda, Mayla Bagh, Beed Jaisala, Jaisala, Akeda, Sisiyawas, Bad Gaon, Khairwadi, Kishangarh, Udaipura, Laxmi Narayanpura, Bhadana, Chak-maanpura, Shivdaspura, Daulatpura, Bagwada, Seengwana, Kachrawala, Chaapradi, Jaitpura, Achrol, Barni/Varni, Labana, Gunawata, Dhand, Harwar, Khuraad, Chimanpura, Kukas, Nestiwas and Beed Kaleda and All these villages jointly designated as Vankhand Amer (Forest Block Amer) 54. The Photocopy of the order dated 21/11/1961 is enclosed herewith and marked as **Annexure-A/1**.

- 2) That Government of Rajasthan had further issued a notification No.F-11(39) Rajasthan 8/80 on 22/09/1980 under Section 18 of Wildlife Protection Act, 1972 by which the reserve forest declared by Order dated 21/11/1961, has further declared to be Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is submitted that at the time of issuance of notification dated 22/09/1980 the Boundaries of Sanctuary got decided. The

Kamaltiwar

Photocopy of the Order dated 22/09/1980 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/2**.

- 3) That Govt. of India has also issued a gazette notification on 08/03/2019 by which the Eco- Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary got declared. It is also submitted that Eco- Sensitive Zone shall be from 0-13 Kms. around the Sanctuary Boundaires of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is also submitted that by the way of notification dated 08/03/2019, some essential activities for local residents were allowed and rest of the commercial activities were prohibited. It is submitted that the bare perusal of the notification dated 08/03/2019 goes to reveal that there are three classes of activities mentioned therein, the A Clause is about Prohibited Activities, B Clause is about Regulated Activities and C Clause is about Promoted Activities. It is submitted that in clause related to prohibited activities of notification of Eco Sensitive Zone it has been mentioned that no new industries and expansion of existing industries shall be permitted within the boundaries of Eco Sensitive Zone. The plotting is being done upon Khasra No.3 in order to establish industrial plots upon it and the land of Khasra No.3 has already been levelled for this purpose pursuant to minutes of meeting held between officials of RIICO. It is submitted that expansion of existing industries can not be permitted as per the notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary as it is prohibited activity in view above notification thus these type of activities

Kamal Tiwari

deserves to be deprecated being illegal and contrary to forest laws and rules. The Photocopy of the Notification dated 08/03/2019 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/3.**

- 4) That the Deputy Secretary to Government of Rajasthan, Revenue Department has wrote a letter to Chief Conservator of Forests, Jaipur, Rajasthan and shown the intention to release 572 Bighas 12 Biswas land from reserved forest land situated at Village Kukar Kheda and Bir Papad and accordingly the Land mentioned in above letter came to be released for the purpose of establishment of industries in the year 1971. The Photocopy of Letter No. F.7(2) REV/A/70 is annexed herewith and marked as **Annexure-4.**
- 5) That as stated in last Para that Land 572 Bheegas 12 Biswas came to be released from reserved forest for the purpose of establishment and development of Industries, thus Khasra No. 1 to 7/1 came to be recorded in the name of Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited and same is evident from the Jamabandi of Samvat 2069-2072. The Photocopy of Jamabandi of Samvat 2069-2072 is annexed herewith and marked as **Annexure-5.**
- 6) That Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited has called upon a meeting of committee constituted for the planning of New Industrial Area under the Chairmanship of Managing Director RIICO

Kamal Tiwari

on 23/12/2021 in which total 22 officers of State Government were present. The Minutes of the meeting dated 23/12/2021 were declared and it has been transpired that some proposals have been proposed, out of these proposals, Proposal No.3(ii) was related to Replanning of warehousing plot as Industrial Plot at VKIA, Jaipur and Committee has approved this proposal and it has been decided that industrial plots which are situated in Khasra No.3, Vishwakarma Industrial Area be put up for e-auction without any downward revision in the reserve rate of auction. It is submitted that Khasra No.3 is presently recorded in the name of Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited and on this Khasra RIICO has approved the proposal for extension of industrial area by constructing new industrial plots, which is prohibited activity under the notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary. The bare perusal of notification dated 08/03/2019 goes to show that new industrial and expansion of existing industries shall not be permitted within the periphery of Eco Sensitive Zone. The minute of above meeting that proposal of establishment of new industrial plots has been accepted, which is in contradiction with the notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary further it has been transpired in the inquiry and survey conducted by forest officials that RIICO has completed the levelling of land situated in Khasra No.3 for the purpose of expansion of existing

Kamaltiwarj

industries and it has also been transpired that they have constructed two pucca drains upon the land of Khasra No. 10 situated at Bir Papad and the untreated effulents are being discharged from two pucca drains and other drains which are present upon Forest land. It is submitted that no non-forest activities can be allowed to be operated in Wildlife Sanctuary without prior permission of forest department but in present despite of issuance of several directions the situation got not changed, which is huge violation of mandatory provision of Wildlife Protection Act, 1972, Forest Conservation Act, 1980 and notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary. The Photocopy of Minutes of meeting dated 23/12/2021 is annexed herewith and marked as **Annexure-6**.

- 7) That Khasra No.10 situated at Village Bir Papad/ Papad, Jaipur is recorded as Gair Mumkin Nala in the name of Forest department. Applicant has obtained the information about Khasra No.10 situated at Village Bir Papad/Papad, Jaipur and As per the official website of Government of Rajasthan namely Apna Khata Khasra No.10 (Supra) is recorded as Gair Mumkin Nala in the name of Forest department and it is integral part of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is submitted that two pucca drains have been constructed upon the land of Khasra No.10 (Supra) which is entirely recorded in the name of Forest department and essential and vital part of Nahargarh Wildlife Sancturay and Vankhand Amer 54 thus no non-forest activities can be

Kamaltiwarj

allowed to be operated in a Wildlife Sanctuary further untreated effluents are being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary from these two pucca drains and there are other drains also and by all these drains untreated effluents and industrial waste are being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary, which is huge violation of mandatory provisions of Wildlife Protection Act, 1972 and Forest Conservation Act, 1980 further it is also against the notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary. The Photocopy of Jambandi concerned is annexed herewith and marked as **Annexure-7**.

- 8) That Applicant has made a Complaint to Chief Secretary, Government of Rajasthan regarding non-forest activities upon forest land without prior permission from Forest Department on 19/01/2022 and Copy of this Complaint was also served upon Additional Chief Secretary (Forest), District Collector Jaipur, Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Chief Wildlife Warden, Chief Conservator of Forests, Deputy Conservator of Forests, Assistant Conservator of Forests, Regional Forest Officer, Nahargarh and Managing Director RIICO. Applicant in above complaint alleged that illegal construction is being carried on upon forest land without prior approval of forest department in order to construct a Pucca Nala and at the same time the untreated effluents are being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary, which is the violation of Mandatory provisions of Wildlife Protection Act, 1972 and

Kamaltiwari

also violates the mandatory stipulations mentioned under the Notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sancturay and prayed that Pucca Construction made for the purpose of Pucca Nala be demolished and other suitable arrangements be made in order to prevent the non-forest activities upon Forest land. The Photocopy of Complaint dated 19/01/2022 is annexed herewith and marked as **Annexure-8.**

- 9) That in furtherance of Complaint submitted by the Applicant, Forester, Naka Maylabagh, Range Nahargarh of Nahargarh Wildlife Sanctuary has registered a First information report in presence of two competent witnesses against one Dhokhan Singh for construction of Pucca Nala in order to discharge untreated effluents and Industrial waste and at the same time penalty of Rs. 2 Lakh was imposed upon said Dhokhan Singh further Mauka Panchnama was prepared by Forester. The Photocopy of First Information Report, Mauka Panchnaama and receipt dated 22/01/2022 issued by Forester, Maylabagh, Range Nahargarh is annexed herewith and marked as **Annexure-9 Collectively.**
- 10) That Regional Forest Officer, Nahargarh Wildlife Sancturay has wrote a letter on 20/12/2021 to Manager RIICO regarding pursuing illegal work upon forest land. It is submitted that Regional Forest Officer in its above letter stated that it has been noticed by forest officials that work of leveling of forest land and Construction of Pucca Nala upon forest land is being done by RIICO illegally which is made

Kamal Tiwari

prohibited under Forest Conservation Act, 1980 and Wildlife Protection Act, 1972 and Manager of RIICO was directed to apprise the forest department regarding all these activities and in what capacity these activities are being done. The Photocopy of letter dated 20/12/2021 is annexed herewith and marked as **Annexure-10**.

11) That Regional Forest officer has also wrote a letter to Senior Manager, RIICO on 31/01/2022 and stated that RIICO has constructed Two Pucca drains upon the Land belonging to Nahargarh Wildlife Sanctuary and untreated effluents and Industrial waste are being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary, which is not in consonance with environmental goals and Regional Forest Officer has directed to Senior Manager, RIICO to remove Pucca Construction and Stop discharge of untreated effluents and Industrial waste in Nahargarh Wildlife Sanctuary. The Photocopy of letter dated 31/01/2022 is annexed herewith and marked as **Annexure-11**.

12) That Regional Forest Officer has further wrote a letter to Senior Manager, RIICO on 10/02/2022 regarding stoppage of untreated effluents and demolition of Pucca Nala from the land belonging to Nahargarh Wildlife Sanctuary. It has been mentioned in above letter that discharge of untreated effluents, construction of Pucca Nala upon forest land and Plotting and Levelling of forest land is violation of Wildlife Protection Act, 1980, Wildlife Protection Act, 1972 and Notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife

Kamal Tiwari

Sanctuary and Senior Manager RIICO was directed to stop these activities forthwith, but these activities are still in operation and not stopped so far. The Photocopy of Letter dated 10/02/2022 is annexed herewith and marked as **Annexure-12.**

- 13) That subsequently Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo Jaipur has wrote a letter to Chief Conservator of Forests on 25/04/2022 and apprised him regarding factual position of Khasra No.3 situated at Bir Papad/Papad, Jaipur and stated that untreated effluents and Industrial Waste are being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary which is against the Wildlife Protection Act, 1972, Forest Conservation Act, 1980 and Notification of Eco Sensitive Zone and it has been suggested by Deputy Conservator of Forests that a joint survey is necessary to be conducted in presence of Officilas of Forest Department and RIICO in order to settle the dispute relating to boundaries. The Photocopy of Letter dated 25/04/2022 alogwith Factual report is annexed herewith and marked as **Annexure-13 Collectively.**

- 14) That in furtherance of directions issued by Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo, Jaipur, Surveyor of Forest Department in presence of Forester, Maylabagh, Range Nahargarh of Nahargarh WildlifeSanctuary and One representative of RIICO has conducted a suvery on .08/06/2022 and during the course of survey it has been transpired that Khasra No.3 has been transferred to RIICO

Kamaltiwar

by Government order issued in 1971 for the purpose of establishment of Industries and it has also been found during survey that Khasra No.10 is recorded as Gair Mumkin Nala in the name of Forest department and it is adjoining to Khasra No.3 which is recorded in the name of RIICO. It has also been found that RIICO has leveled almost 1100 Sq. meter of Forest land and as per the representative of RIICO a road is proposed upon land of Khasra No.10, which would be constructed upon 500 Sq. meter Land of Khasra No.10. Ultimately Surveyor has issued directions to RIICO that no plotting and leveling shall be conducted upon Land situated in Khasra No.10 and Two Pucca drains are also under construction for the purpose of discharging untreated effluents and Industrial waste, which is illegal and against the strict forest laws, it is paramount to note here that Surveyor has exceeded his jurisdiction and issued a vague direction that treatment plant be established and only pure water be discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary. Surveyor had not any authority to issue such directions as he was authorized to conduct survey only, no one can pass directions beyond the jurisdiction and jurisdiction of surveyor was to conduct survey and submit the report in the office of Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo. The Photocopy of Survey Report dated 08/06/2022 is annexed herewith and marked as **Annexure-14.**

Kamal Tiwari

- 15) That Applicant has sent reminder to responsible officers of Government of Rajasthan including Forest Officers aggrieved with the inaction of Responsible Authorities on 12/09/2022 and also submitted relevant documents and photographs for their perusal. The Photocopy of Reminder dated 12/09/2022 is annexed herewith and marked as **Annexure-15**.
- 16) That subsequently Assistant Conservator of Forests, Nahargarh has prepared a factual report of the matter in question on 23/09/2022 and It has been found by Assistant Conservator of Forest, Nahargarh Non-forest activities are being done RIICO upon forest land without obtaining Wildlife Clearance and these activities have been strictly prohibited under Notification of Eco Sensitive Zone related to Nahargarh Wildlife Sanctuary. Assistant Conservator of Forest, Nahargarh has also relied upon letters wrote down by Regional Forest Officer in which he issued some directions to Senior Manager of RIICO as to stoppage of non-forest activities upon forest land and within Eco-Sensitive Zone. It is also submitted that in point 8 of factual report Assistant Conservator of Forests has mentioned about the Survey Conducted by Surveyor in presence of Forester, Naka Maylabagh and One representative of RIICO and in this survey it has been noticed that Khasra No. 10 and Khasra No.3 are adjoining Khasras and Khasra No.3 is integral part of Nahargarh Wildlife Sanctuary and Vankhand Amer 54 and it has been further noticed in

Kamal Hwar

survey report that Land of Khasra No.10 has been leveled without raising any alarm to forest department and Two Pucca drains are present upon Khasra No.10 for the purpose of discharging untreated effluents and Industrial waste. Assistant Conservator of Forests has accepted the assertion of Applicant that no permission has been taken from forest department for all these non-forest activities. It is submitted that Plotting is also present upon the land of Khasra No.3 and non-forest activities are being carried upon Khasra No.3 and 10, which is gross violation of Wildlife Protection Act, 1972, Forest Conservation Act, 1980 and Notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary. The Photocopy of Factual Report dated 23/09/2022 is annexed herewith and marked as **Annexure-16**.

- 17) That Applicant has visited the disputed place and found that apart from discharge of untreated effluents, illegal leveling of forest land and plotting upon and near forest land, particularly in Khasra No.3. Applicant has found that Khasra No.10 is being used as dumping yard as RIICO has placed and used to throw Garbage and Industrial waste upon the Land in Khasra No.10 moreover RIICO has started throwing and disposing the Solid Industrial Waste upon the boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary, which is against the mandatory provisions of Wildlife Protection Act, 1972, Forest Conservation Act, 1980 and Notification of Eco Sensitive Zone for Nahargarh Wildlife Sanctuary further it is

Kamal Tiwari

gross violation of guidelines imparted by Hon'ble Apex Court by order dated 12/12/1996 in Case of T.N. Godavarman. Applicant has clicked photographs of disputed place which would be relevant in present case. The Relevant Photographs are annexed herewith and marked as **Annexure-17 Collectively**.

- 18) That Applicant has sent legal notice through his counsel to various authorities of Government of Rajasthan including Forest officers on 31/10/2022 by registered post. The Photocopy of Legal Notice dated 31/10/2022 alongwith postal receipts are annexed herewith and marked as **Annexure-18 Collectively**.
- 19) That the humble applicant craves leave of this Hon'ble Tribunal to raise additional facts and grounds, alter and modified the same after filing the present Original Application with prior permission to the Hon'ble Tribunal.

LIMITATION:-

- 20) That Applicant has made a complaint reagrding non forest activities upon Forest land/Sanctuary and within Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary on 19/01/2022 and thereafter several letters were issued by Regional Forest Officer with directions to stop non-forest activities forthwith and Meanwhile under the directions of Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo Survey was conducted and Applicant has sent reminder to Government Authorities on 12/09/2022 and subsequently Factual report was prepared and submitted by Assistant Conservator of

Kamal Tiwari

Forests, Wildlife, Zoo on 23/09/2022 and hence being aggrieved with the inaction of Forest Authorities, ultimately Applicant has sent a legal notice through his counsel on 31/10/2022 but no heed was given towards the complaints and legal notice submitted therein by the applicant thus there is no delay in filing this original application and the cause of action is continuous in nature, as such the present original application is well within the limitation.

- 21) That the required demand draft of Rs.1000/- bearing No._____ is enclosed with the application.

PRAYER

It is, most respectfully prayed that this Original Application may kindly be allowed and the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass following directions and orders:-

(i) By an appropriate order or direction, the Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to issue the appropriate directions to respondents as to stoppage of non forest activities, illegal construction upon forest land and within Eco Sensitive Zone, more particularly land of Khasra No.3 and Khasra No.10 may kindly be protected from any kind of non-forest activities and existing non-forest activities be defenestrated forthwith.

(ii) This Hon'ble Tribunal is further pleased to issue appropriate directions to Respondents as to stoppage of illegal plotting, leveling of Forest land and other type of illegal construction within the periphery of Nahargarh Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone.

(iii) Respondents be further directed to demolish the Pucca Construction of Two Drains present upon the Land of Khasra No.10 and untreated effluents and industrial waste (Solid

Kamal Tiwari

and liquid) may be ordered to be disposed of at any other place, preferably outside of the boundaries of Eco-Sensitive Zone.

(iv) RIICO may kindly be directed not to expand the existing industries in view of Notification of Eco Sensitive Zone dated 08/09/2019 (Annx.3) within the periphery of Eco-Sensitive Zone.

(v) RIICO may be further directed not to discharge untreated effluents and Industrial waste in Wildlife Sanctuary and within the periphery of Eco Sensitive Zone.

(vi) Forest Authorities may be directed to put a board of Forest department upon the Land of Khasra No.10 and making other arrangements in order to prevent the forest land from encroachment and Encroached Land from this Khasra No.10 be restored back in possession of Forest Department forthwith.

(vii) This Hon'ble Tribunal is further pleased to impose heavy penalty upon the culprits.

(viii) this Hon'ble Tribunal may kindly be please to take appropriate action against the responsible officers and imposed heavy penalties against the officers/officials who have failed to discharge their official duties

(ix) Pass any other order and direction which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice.

(x) The costs of the litigation may kindly be awarded to the applicant.

Through his Counsel:  R/895/2000


Filed by Applicant

Krishan Sharma/ Pawan Kumar Sharma

Advocates for Applicant

Filed on 05/12/2022

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 97 OF 2022

Kamal Tiwari

VERSUS

Union of India & others

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF ORIGINAL APPLICATION

I, Kamal Tiwari son of Shri Shambhu Dayal Tiwari, aged about 45 years, resident of 29 Shankar Colony Heeda Ki Mori, Ramganj Bazar, Jaipur (Rajasthan), do hereby take oath and state as under:-

1. That I am applicant in this case and am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That averments of facts and ground of the annexed Original Application are true and correct, which I believe to be true and correct on the basis of my personal knowledge.

Sworn & Signed before me

OATH COMMISSIONER
JAIPUR METROPOLITAN COURTS, JAIPUR

03/12/22

VERIFICATION

I, above named deponent, do hereby verify that contents of para no.1 to 2 of the above affidavit are true & correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed and no part of it is false. SO HELP ME GOD.

Identified by
[Signature]

Kamaltiwar
DEPONENT

Kamaltiwar
DEPONENT

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

(M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 97 OF 2022

Kamal Tiwari

VERSUS

Union of India & others

COMPILATION-2

1.	List of documents		
(a)	Photo copy of order dated 21/11/1961.	Annexure-A/1	30-31
(b)	Photo copy of Notification dated 22/09/1980.	Annexure-A/ 2	32-33
(c)	Photo copy of Notification dated 08/03/2019.	Annexure -A/3	34-65
(d)	Photocopy of Letter No. F.7(2) REV/A/70.	Annexure-A/ 4	66
(e)	Photocopy of the Jamabandi of Samvat 2069-2072.	Annexure-A/ 5	67
(f)	Photocopy of Minutes of meeting dated 23/12/2021.	Annexure-A/ 6	68-70
(g)	Photocopy of Jambandi concerned.	Annexure-A/ 7	71
(h)	Photocopy of Complaint dated 19/01/2022.	Annexure-A/ 8	72-73
(i)	Photocopy of First Information Report, Mauka Panchnaama and receipt dated 22/01/2022.	Annexure-A/9	74-76
(j)	Photocopy of letter dated 20/12/2021.	Annexure-A/10	77
(k)	Photocopy of letter dated 31/01/2022.	Annexure-A/11	78
(l)	Photocopy of letter dated 10/02/2022.	Annexure-A/12	79
(m)	Photocopy of Letter dated 25/04/2022 alongwith Factual report.	Annexure-A/13	80-81
(n)	Photocopy of Survey Report dated 08/06/2022.	Annexure-A/14	82-83
(o)	Photocopy of Reminder	Annexure-	

✓

	dated 12/09/2022.	A/15	84-87
(p)	Photocopy of Factual Report dated 23/09/2022.	Annexure-A/16	88-91
(q)	Relevant Photographs.	Annexure-A/17	92-94
(r)	Photocopy of legal notice dated 31/10/2022.	Annexure-A/18	95-100
2	Affidavit in support of documents		101
3	Vakalatnama & Court fees		102

PLACE: BHOPAL
DATED: 05/11/2022

[Signature] R/895/2000
Counsel for Applicant
(Krishan Sharma/ Pawan Sharma/ R.P. Meena)
Advocates
Add- Chamber No. 178, Old Bldg., Raj High
Court, Bench Jaipur at Jaipur (Raj)
E-mail: advocatekrishana@gmail.com
Mob.- 9982765049

Annex A

प्रपत्र 'अ'
विज्ञापित
(धारा 20 के अधीन)

दिनांक- 24-11-89

संख्या (100/1989) की तारीख 24 बुद्धि विज्ञापित दिनांक 24-11-89 द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि की अधिसूचना अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी किए गए वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और बुद्धि इन भूमियों पर अधिकारी' वाले... धियाचनाएं, यदि हों, निम्नादि गई हैं।

और बुद्धि उपरोक्त अधिवाचनाओं पर पारित व शांति के विचार अधीन पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में स्तुत की गई अपीलें निम्नादि गई हैं।

और बुद्धि प्रस्तावित वन में सम्मानित किये जाने के लिये आवेदन की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अधिनियम अधिनियम का अनु के अधीन सरकार में निहित हो गई है।

राजस्थान वन अधिनियम, 1980
अनुच्छेद 2 के धारा 20 द्वारा उक्त शक्तियों के
उपयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्तावित करती है जो इस अधिनियम के अधीन है। यह नीचे लिखे गए प्रायः कोई-किसी अधिकार नहीं रखेंगे। उक्त अधिकारों की संज्ञापूर्व सूची, (1) में उल्लिखित सीमा तक रहते रहेंगे। अन्य-अनुबन्ध नहीं पावेंगे। संज्ञापूर्व सूची, (2) में उल्लिखित सीमा तक ऐसे पौंसर्मा में, उक्त वनों के ऐसे भागों में तथा ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा समय 2 पर निर्धारित किये जावें, अनुबन्धों का उपयोग करेंगे।

शुक्ल अधिनियम के तहत प्रमाणित फोटो प्रति

राज्यपाल की आज्ञा है, शासन सचिव।

सूक्ष्म अधिकारी
सहायक वन संरक्षक पिड़ियाचर, जयपुर

बुद्धि वन विभाग

जिला	तहसील	वन-तह का नाम	नक्शा	सूचना दिनांक	दिशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
जयपुर	जयपुर	बामेरा 48		24-11-89	सीमा विवरण
	बामेरा		बामेरा तहसील	24-11-89	परिच्छिन्न 3 के अन्तर्गत है
	जयपुरापरगढ़		जयपुरापरगढ़	24-11-89	



(क) इस वन सफ़्द में निम्न पगडण्डियां व रास्ते होकर जाते हैं, इन पर वाशिनन्दगान को बाने-बाने का अधिकार है :-

रास्ता	लक्ष्मीनारायण पुरा	के	सुनियावास	दोस्तपुरा	कुमानतः	१ मील ४ कीट	सम्बी	चौकी
"	बड़ा माव	"	कुमानतः	कुमानतः	३	मील	सम्बी	६ कीट चौकी
पगडण्डी	खाना	"	कुपुरा	"	३	"	"	"
"	गुनावता	"	शावरीडी	"	२	"	"	"
"	कमनपुरिया	"	बुराह	"	१	"	"	"
"	नटाट	"	भस्तीवास	व	"	"	"	"
"	शावरीडी	"	कुम्भ गुनावता	"	३	"	"	"
"	कसेपुरिया	"	सुनियावास	"	"	"	"	"
"	हरवार	"	पिलतपुरा	"	३	"	"	"
"	ढण्ड	"	कचरावाला	"	३	"	"	"
"	सिंगनाना	"	"	"	३	"	"	"
रास्ता	खेदारामपुरा	"	मन्दराली चौकी	"	१	"	"	"
"	दोस्तपुरा	"	बहागाने कुम्भ	"	३	"	"	"
"	माहलावास	"	केसला बहागाव	"	६	"	"	"
सड़क	नाहरगढ़	"	बापेर	"	३	"	"	२०
रास्ता	बीह पापड	"	मंदराली चौकी	"	५	"	"	"
पगडण्डी	बबरोल	"	खाना गुनावता	"	२	"	"	"
"	कवाडा	"	कचरावाला	"	३	"	"	"

(ख) इस वन सफ़्द में निम्न देवस्थान हैं, जहां वाशिनन्दगान को दर्शनार्थ बाने बाने का अधिकार है :-

- मोमियाजी - देवघाट भारती (मैला बेसाल व माइयत में परता है)
- सती का देवरा - देवीजी - कुंभ छादी का - गणेशजी - चरण मंदि
- रावेश्वरीजी - पीर का स्थान - हर्षनाथ मंथी - नरसिंह बुवं -
- सोतारामजी - राधाकुण्ड - कुमानवी - महादेवजी - गणेशजी -
- चावण्डा शताजी - शींगरवाडी ।

(ग) इस वन-सफ़्द में मवेशी के बाने-बाने के स्थान हैं, जहां वाशिनन्दगान को मवेशी, को कल में चरने जाती है, पानी पीती है :-

- तपन तलाह - पीसी - हीलाशाली - माधुकाली - निहरा - मोडियावाली -
- सैदाताह - कैलाशवाली - पन्नावाली - मन्तलाह - धोपी रामसागर - नला
- बीह के पापड - सागर (शोटा, बड़ा) कुण्डोलाव - काथोलाव - बडी तलाह -
- कोठियां (दोस्तपुरा कवाडा) ।

(घ) इस वन सफ़्द में निम्न ग्रामों के श्मशान और किले बन्दर हैं :-

- कमनपुरा-रास्ता पुरा - डोंगवाना - बीह पापड - कवाडा - नाहरगढ़ -
- कमन - निहरा बबरोल ।



प्रपत्र 'जे'
विज्ञप्ति
(धारा 20 के अधीन)

दिनांक 21.11.61

संख्या एफ.7(28)रा.क./61 चूंकि विज्ञप्ति दिनांक 15.10.47 द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि की जयपुर वन अधिनियम, 1939 के अधीन आरक्षित दर के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

ओर चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियानचाएँ यदि हों, निबटा दी गई हैं।

ओर चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित व आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटादी गई हैं।

ओर चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 एक्ट की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक 15.01.62 से प्रभाव रखते हुये आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखे गये गांव कोई अधिकार नहीं रखेंगे। उक्त अधिकारों की संक्षिप्त सूची (1) में उल्लिखित सीमा तक रखते रहेंगे और अनुदान नहीं पावेंगे। संक्षिप्त सूची (2) में उल्लिखित सीमा तक ऐसे मौसमों में, उक्त वनों के ऐसे भागों में तथा ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा समय 2 पर निर्धारित किये जावें, अनुदानों का उपयोग करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से
शासन सचिव

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खंड का नाम	मौजा	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
जयपुर	जयपुर	आमेर 54	आमेर	4411-531	सीमा विवरण का परिशिष्ट अ संलग्न है
	आमेर		मानपुर सडवा	157-125	
	जमवारामगढ		विजय नहर	81-344	
			नाहरगढ	2152-406	
			बरसी सीतारामपुरा	276-875	
			किशनबाग	363-531	

प्रकाश त्यागी
27.6.60

(क) इस वन खण्ड में निम्न पगडण्डियां व रास्ते होकर जाते हैं, हम पर वाशिन्दगान को आने-जाने का अधिकार है:-

रास्ता लक्ष्मीनारायणपुरा से लुनियावास दौलतपुरा अनुमानतः 1 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

रास्ता सींगवाना से कूकस अनुमानतः 3 मील लम्बी 9 फीट चौड़ी

रास्ता शिष्यावास से आमेर अनुमानतः 4 मील लम्बी 5 फीट चौड़ी

रास्ता बडा गांव से कूकस खोरा अनुमानतः 4 मील लम्बी 9 फीट चौड़ी

रास्ता बडा गांव से रामसागर अनुमानतः 1 मील लम्बी 5 फीट चौड़ी

पगडण्डी लवाना से जैतपुरा अनुमानतः 1 मील लम्बी 3 फीट चौड़ी

पगडण्डी गुनावता से खापरेडी अनुमानतः 2 मील लम्बी 3 फीट चौड़ी

पगडण्डी चमनपुरिया से खुराड अनुमानतः 1 मील लम्बी 3 फीट चौड़ी

पगडण्डी नटाट से मस्तीवास व जंगल अनुमानतः 1 मील लम्बी 3 फीट चौड़ी

पगडण्डी लापरैडी से कूकस गुनावता अनुमानतः 3 मील लम्बी 8 फीट चौड़ी

पगडण्डी अखैपुरिया से लुनियावास दौलतपुरा अनुमानतः 3 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

पगडण्डी हरवर से कचरावाला अनुमानतः 3 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

पगडण्डी ढण्ड से सींगदावा अनुमानतः 3 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

रास्ता सेवाराजपुरा से मन्दराली चौकी अनुमानतः 1 मील लम्बी 9 फीट चौड़ी

रास्ता दौलतपुरा से बडागांव कूकस अनुमानतः 6 मील लम्बी 5 फीट चौड़ी

रास्ता माहलावास से जैसला बडागांव अनुमानतः 6 मील लम्बी 5 फीट चौड़ी

सडक नाहरगढ से आमेर अनुमानतः 2 मील लम्बी 20 फीट चौड़ी

रास्ता बीड पापड से मंदराली चौकी अनुमानतः 5 मील लम्बी 5 फीट चौड़ी

पगडण्डी अचरोल से नवाना गुनावता अनुमानतः 2 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

पगडण्डी बगवाडा से कचरावाला अनुमानतः 3 मील लम्बी 4 फीट चौड़ी

(ख) इस वन खण्ड में निम्न देवस्थान हैं, जहां वाशिन्दगान को दर्शनार्थ आने जाने का अधिकार है:-

भोमियाजी - सैडमाई भरतरी (मेला बैसाख व भाद्रपद में भरता है)

सती का देवरा - देवीजी - कुंड सासों का - गणेशजी - चरण मंदिर
 राजेश्वरीजी - पीर का स्थान - हर्षनाथ भैरुजी - नरसिंह बुर्ज-
 सीतारामजी- राधाकुण्ड-अनुमानजी - महादेवजी - मणेशजी -
 जावण्डा माताजी - जोगेश्वरजी।

(ग) इस वन खण्ड में मवेशी के पानी पीने के स्थान हैं, जहां बाशिन्दगान की
 मवेशी, जो जंगल में चरने जाती हैं, पानी पीती हैं :-

लक्ष्मण तलाई - पीली - छीलावाली - पादुकाली ' निझरा - मोडियावाली
 सेडालाई - शेलालवाली - पन्नावाली - नडेतलाई - बांदी रामसागर - नला
 बीड की पापड - सागर (छोटा-बडा) कुण्डोलाव - काचोलाव - बडी तलाई
 कोठियां (दोलतपुरा बगवाडा)।

(घ) इस वन खण्ड में निम्न ग्रामों कमे शमशान और किले अन्दर हैं:-

लक्ष्मीनारायण पुरा - सींगवाना - बीड पापड - बगवाडा - नाहरगढ -
 भावगढ - अचरोल

प्राचाराग, वडा माघे माळवा श. मणियावती वन क्षेत्र बडा माघे
माळवा वडाग १० ०२-८० व ०३ वा उत्तरी पणियावती जोना
व श्रीभा वन क्षेत्र वीडे माळवा मणियावती वन क्षेत्र मध्य दौनलपुरा
अधारा नम्बरा १०९२-९३

राजस्थान वन विभाग
महोदय
प्राचाराग/पणियावती
उप राजस्थान सचिव

प्रतिनिधि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवायों हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, राजस्थान महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 3- समस्त निजी सचिव/मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
- 5- समस्त राजस्व सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
- 6- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ।
- 7- मुख्य वन्य जीव, प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर ।
- 8- जिलाधीन, जयपुर ।
- 9- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक अनु. वि. को अतिरिक्त 10 प्रतियां प्रेषित ।
- 10- डाई कार्ड

महोदय
उप राजस्थान सचिव

प्रतिनिधि सूच. प्रेषित है:-

- 1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
- 2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर ।
- 3- पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।

महोदय
उप राजस्थान सचिव

प्रतिनिधि अधीक्षक, केन्द्रीय वनपालक, जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनात प्रेषित है ।

महोदय
उप राजस्थान सचिव

एम०पी०बेरवा/२१-९-८०

जारी ज्ञापन नं. १०९२-९३ (नया नं. १०९२-९३)
जयपुर के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, २१/९/८०

वन विनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति
स. नो. १०९२-९३
अधिकारी
वन संरक्षक विडियाघर, जयपुर



राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक/एफ11(39) राज-8/80

जयपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1980

अधि-सूचना

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1) 72 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या प011014/3/12 एफ.आर. आई./डब्ल्यू.एल. एफ. दिनांक 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को उनकी परिस्थिति व महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदक्षीन बनाये गये नियमों से जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूचि

नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं का विवरण:-

(देखिये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18-2)

सीमा विवरण नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य

- उत्तर- वनक्षेत्र बीड़ तालेड़ा व ग्राम पापड़ की उत्तरी सीमाओं तक ग्राम कूकस का वन क्षेत्र सीमावर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बर 1090 व 1091 ग्राम कूकस खसरा नम्बरान 4,5,6 व 7 का उत्तरी भाग।
- पूर्व- वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस, खुराड, चिमनपुरा, आमेर, आबादी आमेर आबादी आमैर मांवठा, आमेर देहली रोड व राजस्व क्षेत्र ग्राम नाहरगढ़।
- दक्षिण- वन सीमा लाईन समीपवर्ती आबादी ब्रह्मपुरी व पुरानी बस्ती।

पश्चिमी- नाहरी का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किशन बाग, बीड़ पापड़ व नाला, अमानीशाह से पश्चिम विश्कर्मा, ओद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाइन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र जेसला, आकेड़ा, शिस्यावास, बड़ा गॉव माडिया व समीपवर्ती क्षेत्र बडा गॉव माडिया खसरा नम्बर 02-85 व 83 का उत्तरी पश्चिमी कोना व सीमा वन क्षेत्र तोलेडा समीपवर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बर 1092-93

राज्यपाल के आदेश पे

(एम0एस0 सिधवा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त निजी सचिव/मंत्री/उप सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
8. जिलाधीश जयपुर
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासनिक अनुभाग- को अतिरिक्त 10 प्रतियां सहित।
10. गार्ड फाईल।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

उप शासन सचिव

एम0पी0 बैरवा/21.09.80



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1085]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No. 1085]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/PHALGUNA 17, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 1220(अ).—पुनःअधिसूचित प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2995 (अ) तारीख 11 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों में, जिनको उममें प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख में, जिमको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, माउ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 12 सितम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अक्षांश 26°56'15.08" उत्तर और 26°57'5.81" उत्तर तथा देशांतर 75°48'55.70" पूर्व और 75°46'54.65" पूर्व के बीच स्थित है। अभयारण्य राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं. एफ. 11(39) राजस्व/8/80, तारीख 22 सितम्बर, 1980 द्वारा अधिसूचित किया गया था। अभयारण्य राजस्थान के जिला जयपुर की अम्बर पहाड़ियों पर अरावली पर्वतमाला में स्थित है और क्षेत्र 52.40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य में 'उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन' और 'उष्णकटिबंधी कंटक वन' हैं। वन अनेक भू-वैज्ञानिक तथा मृदा निर्मितियों और अरावली के पहाड़ी भू-भागों में फैला हुआ है और इसीलिए उसकी संरचना में भिन्नता है;

और, वन्यजीव अभयारण्य में विविध वनस्पतियों के लिए विविध प्राकृतिक वास है और मुख्य वनस्पति सालार (बोसवेलिया सेराटा), गुरजन (लिनिया ग्रेडिस), तेंदू (डिसिप्रोस मेलानोक्सिलोन), करया (स्टेरिकुलिया यूरेनस), गुगल (कोमीफोरा मुकुल), अमलतास (कैसिया फिस्टुला), अवनला (एम्बेलिका ऑफिसिनैलिस), विघ्नास (हेस्पेराथुसा क्रानुलाटा)

अम (नेकोपेटेटालम टोमेंटोसा), गोया खिर (दिशोस्ट्र्या मिनेरिया), मँजा (मरिंगा पटोस्परपर्मा), टाक (व्यूटिया मोनोसपर्मा), राहन (मोयिडिमिडा फ्रेब्रिगुगा), मोष्ठा (मेरेत्रा स्वेटेनोडइस), रोहिनी (मलाटस फिलिपनेंसिस), वेर (ज़िज़फस जुजुबा), जामुन (नाइज़िगुम स्मिनी), गूलर (फीकस ग्लोमेरेटा), चदम (मित्राम्याना परविफोलिया), वहिरा (टर्मिनलिया बेलरिका), धोरा (एनोडेइमन लैटिफोलिया), कहरज़र (फोनिक्स मायनेमट्रीस), द्विगोट (वानानिटेस एगोस्टिका), खैर (अचार्किया कैटेचु), मेवान (गमैनिया आर्बोरिया), अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुन), नीम (अज़ादिन्दिगा इंडिका), पीपल (फिकस रेनियोसा), चरगद (फिकस ब्रेयानेन्सिस), शीशम (डाल्बर्गिया निनो), चिजनाल (पेंगोकार्पन मारुपियम), ककान (फ्लैकोइन्डिया इंडिका), खरिनी (गडडिया टेंकटॉगिया), दुधी (गडडिया टोमेंटोसा), खिलाना (बुहिनिया ग्नेमोसा), केमेरिया (केमेरिया टोमेंटोसा), बार्म (क्रेटेवा ग्नेमिओसा), डेल (ऐगल मर्मेलोज़), गोज (अचार्किया मर्मेलोज़), लिमोग (कार्डिया मायक्सा), चुगेन (होलोप्लेतिया इन्ड्रिफोला), आम (मंगरेरा इंडिका), इमली (टैमरिडिस इंडिका), कैथ (लिमोनिया एमिडिनिया), मिरिम (अलबिज़िया लेवेक), मेमल (वोम्बाज़ मेरिवा), मेलास्टम (क्लिस्ट्रम पैनिकुलेटम), आदि हैं;

और, अभयारण्य में विविध प्रकार के जीवों के लिए विविध प्राकृतिक वाम हैं। इस अभयारण्य में अभिलिखित की गई मछली की प्रजातियाँ कैटल (कैटला कैटला), ग्रेवर्ड (चन्ना मारुलियम), लँची (वालगो अट्टू), महमीर (टोर टोर), मिरगल (निग्रहितम मुगला), गेहो (नवेओ गेहिता), मवानक (चन्ना पंकटम), मेन्धारी (मिस्टस मेन्धाला) आदि हैं। मछलियों के अलावा, आम भारतीय टांड (बुफो मेलानोस्टिक्टम), सामान्य मेंढक (गथा टाइगरिना), बेंडेट क्रेट (बुगोरस फासिकटस), कोचरा (नाज़ा नाज़), कॉमन क्रेट (बुगोरस कायल्लम), ताज़े पानी का दलदल मगरमच्छ (क्रोकोडायल पलुसट्रीस), भारतीय पाइथन (पायथन मोलुरस), उत्तर भारतीय फ्लैप शेल्ड कछुआ (लिसेमीस पाइकटाटा पंचाटी), रैट स्लेक (पाइटास म्यूकोसस), तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), आदि अभयारण्य में मुख्य जीव शामिल हैं;

और, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 13 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिमूचित करती है, जिसके व्यौर निम्नानुसार हैं, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 13 किलोमीटर तक विस्तृत होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 79.356 वर्ग किलोमीटर है। शून्य सघन शहरीकरण के साथ भागों की ओर विस्तृत है।

(2) नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा के व्यौरों और अक्षांश तथा देशांतर सहित नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र उपाबंध-IIक और उपाबंध-IIख के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क और ख में दी गई है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ अभयारण्य और प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध - IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के गठन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दी गई अनुबंधों का अनुपालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति में जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गयी है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार होगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय शक्तों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श में तैयार होगी, अर्थात्:-
- (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन;
 - (iii) शहरी विकास;
 - (iv) पर्यटन;
 - (v) राजस्व;
 - (vi) कृषि;
 - (vii) ग्रामीण विकास;
 - (viii) मिर्चाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) नगरपालिका;
 - (x) पंचायती राज;
 - (xi) लोक निर्माण विभाग; और
 - (xii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (4) आंचलिक महायोजना, अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरणों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नदी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्पित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय वस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।
- (7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।
- (9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मॉनीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, वाणज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संवर्द्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन में भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन मक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन में, और इन अधिनियमों के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञान किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान मड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई मड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं महायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिमके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित हैं; और
- (v) वर्षा जल संचयन; और
- (vi) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन मक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिमके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

- (ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) प्राकृतिक जल स्रोत.-आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो, ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।
- (3) पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।
- (ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

- (i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटलों और रिमोर्ट का मंत्रिमाण अनुज्ञात नहीं होगा:
परन्तु नए, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में एक किलोमीटर की दूरी में परंपरागत पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिमोर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;
 - (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, (नमय-नमय पर यथा संशोधित) द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने हुए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;
 - (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को दाम्त्विक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की निष्कारिण पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किन्हीं नये होटल या रिमोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का मंत्रिमाण अनुज्ञात नहीं किया जावेगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना, आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।
 - (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।
 - (6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुपालन में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण होगा।
 - (7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
 - (8) **बहिष्काव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हों, के उपबंधों के अनुसार होगा।
 - (9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिह्नित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।
(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ई एस एम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

- (10) **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिमूचना सं.मा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रायोगिकियों का प्रयोग करने हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का नुग्नित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञान किया जा सकेगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथामंशोधित अधिमूचना सं.मां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथामंशोधित अधिमूचना सं.मां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथामंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवाम के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के मध्यम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां.-**(i) राजपत्र में इस अधिमूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ii) फरवरी, 2016 में जब तक कि इन प्रकार अधिमूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी, और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-
- (क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों से और इसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिमूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाइयों को स्थानीय निवासियों के मदभाषिक घरेलू आवश्यकताओं के निवाण मकानों के मरम्मत या मरम्मत के लिए भूमि खोदना या मकानों और अन्य क्रियाकलापों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण भी है जिनके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध किया जाएगा; (ख) खनन मंत्रियाणं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्त्मन थिरुमूलपाद वनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन वनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में प्रचालित की जाएगी।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और में विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना।	नागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किमी परिसंक्रमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन अथवा प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
11.	प्लान्टिक के क्षेत्रों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
12.	होटलों और रिमोटों का वाणिज्यिक स्थापन।	<p>पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो, कोई नया वाणिज्यिक हॉटल और रिमोट अनुज्ञात नहीं होंगे:</p> <p>परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकटतम हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।</p>
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परन्तु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवाम मध्वन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी।</p> <p>परन्तु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
14.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
15.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केवल विद्युताना और अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल विद्युत जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	विद्यमान मडकों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई मडकों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	गति में यानिक यानायात का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकासों या मतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के जल निकासों में निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	वाणिज्यिक माइनदोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिमंकटमय लघु और मेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन में देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाएंगे।
24.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वायु और वाहन प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	कृषि प्रणालियों में कठोर परिवर्तन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	होटल और लॉज के मौजूदा परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
31.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढाँचा।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
32.	फर्मों, कॉरपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशु धन संपदा और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु के सिवाय लागू विधियों के अनुसार विनियमित (उपबन्धित के सिवाय)।
33.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

34.	स्थानीय ममुदायों द्वारा चल रही कृषि और वागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, जलीय कृषि और मछली पालना।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
35.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कुटीर उद्योगों जिसमें अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	तवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को बढ़ावा दिया जायेगा।
40.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	निम्नीकृत भूमि/वन/ आवास की बहाली।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	वागवानी और जड़ी-बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित में मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
1.	जिला कलेक्टर, जयपुर	अध्यक्ष, पदेन;
2.	उपखंड अधिकारी, आमेर	सदस्य ;
3.	राजस्थान सरकार द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य ;
4.	राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को तीन वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नामित निर्दिष्ट किया जाना है।	सदस्य ;
5.	मानद वन्यजीव वार्डन, जयपुर	सदस्य ;
6.	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य ;
7.	मेयर, जयपुर नगर निगम	सदस्य;

8.	प्रधान पंचायत समिति, आमेर	सदस्य;
9.	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
10.	उप वन्यजीव मंत्रालय/वन जयपुर	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन.—(1) मानीटरी समिति इन अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 नितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, मिवाय इसके पैरा 4 के अधीन मागणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) पैरा 4 के अधीन मागणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 नितम्बर, 2006 की अनुसूची में समाविष्ट न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध -V में दिए गए निर्देशन पत्र के अनुसार, उक्त वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधधीन होंगे।

[फा. सं. 25/60/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-1

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं को चित्रांकित करने के लिए, गजन्व प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सभी मंरचनाओं, निवास स्थानों, जलनिकायों, औद्योगिक क्षेत्रों, धार्मिक स्थानों और अन्य मार्बजनिक स्थानों को उपाबंध में दिए गए मानचित्र में चिह्नित किया गया है। भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दुओं को 1 से 100 तक के संख्याओं द्वारा मानचित्र में अभयारण्य की सीमा पर अंकित किया गया है। इसके बाद उमी मानचित्र पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं को चिह्नित किया गया है और इस सीमा पर भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली भी चिह्नित है और 101 से 336 तक संख्या है। मानचित्र उपाबंध II में उपाबंध है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निर्धारित सीमाओं को भू-मंडलीय स्थिति बिन्दुओं द्वारा निम्न प्रकार मानचित्र में दर्शाया गया है-

उत्तरी सीमा : पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं पर भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 186 संरक्षित वन के खंड की सीमा पर आमेर-54 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर सम्मिलित ग्राम भगवारा, मिंगवाना, छिप्पारदी, जैतुपरा किन्दी, अचरौल, अनी, लावाना, गुनावाना, धंध, हरवर से कुकाम से भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दु संख्या 270 से 13 किलोमीटर होगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 186 से 270 तक, संरक्षित वन आमेर-54 के सह-अंतिम स्टेशन होंगे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्र, इन भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दुओं के मध्य स्थिर होगा।


पूर्वी सीमा : पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दु संख्या 270 से 280 संरक्षित वन खंड सीमा, भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 280 से 281, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.8 (अब एनएच-11-सी) के साथ-साथ होगा, भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 281 से 295, अभयारण्य सीमा 100 से 500 मीटर होगा। इसी तरह, एनएच 8 (अब 11 सी) की सीमा के साथ-साथ भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 295 से 297 पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होंगे। अभयारण्य सीमा से भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 320 से 325 पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में होंगे जिसमें राजमल का तालाब सम्मिलित है। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 297 से 325 पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 100 मीटर से 2.0 किलोमीटर होगा।

दक्षिणी सीमा : पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 325 से 336 और 101 की अभयारण्य की सीमा के सह-अंतिम स्टेशन तक होगा। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 101 से 104 संरक्षित वन खंड आमेर-54 की सीमा के सह-अंतिम स्टेशन होंगे। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 104 से 108 तक अभयारण्य की सीमा सह-अंतिम स्टेशन होंगे। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 108 से 147, अमीनाशाह नाला की प्राकृतिक सीमा (दोनों किनारों के वेड क्षेत्र के साथ-साथ बहेंगे) के साथ-साथ होंगे।

पश्चिमी सीमा : अभयारण्य की सीमा से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर, भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु सं. 147 से 160 सह-अंतिम स्टेशन होंगे। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 160 से 186 तक 50 मीटर से 2 किलोमीटर होगा जिसमें भाव सागर, अखेपुरा, बड़ागाँव, भाटिया, बीसनगढ़ क्षेत्र सम्मिलित है।


उपाबंध-11क

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-11ख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थिति के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	सं.	देशांतर	अक्षांश
1	पू01	75°47'22.26"पू	26°58'15.90"उ
2	पू 02	75°48'0.42"पू	26°59'52.80"उ
3	पू 03	75°49'17.10"पू	27° 0'44.70"उ
4	पू 04	75°50'26.10"पू	27° 2'27.36"उ
5	पू 05	75°52'27.78"पू	27° 2'42.42"उ
6	पू 06	75°53'9.90"पू	27° 1'46.92"उ
7	पू 07	75°52'28.38"पू	26°59'29.76"उ
8	पू 08	75°51'22.56"पू	26°59'9.90"उ
9	पू 09	75°50'30.78"पू	26°57'21.54"उ
10	पू 10	75°48'40.80"पू	26°56'2.40"उ
11	पू 11	75°48'7.62"पू	26°57'13.68"उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थिति के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	सं.	देशांतर	अक्षांश
1	पू 01	75°49'5.16"पू	27° 1'16.50"उ
2	पू 02	75°49'42.06"पू	27° 3'12.42"उ
3	पू 03	75°51'3.42"पू	27° 3'58.98"उ
4	पू 04	75°51'18.48"पू	27° 4'43.20"उ
5	पू 05	75°52'32.70"पू	27° 5'50.52"उ
6	पू 06	75°53'56.40"पू	27° 6'51.30"उ
7	पू 07	75°54'47.52"पू	27° 3'33.66"उ
8	पू 08	75°56'44.58"पू	27° 8'17.22"उ
9	पू 09	75°57'37.56"पू	27° 6'40.56"उ
10	पू 10	75°56'5.70"पू	27° 6'19.50"उ
11	पू 11	75°55'20.28"पू	27° 4'55.74"उ
12	पू 12	75°54'1.20"पू	27° 2'34.56"उ
13	पू 13	75°53'7.32"पू	26°59'18.30"उ
14	पू 14	75°52'14.04"पू	26°57'45.00"उ
15	पू 15	75°51'5.28"पू	26°57'14.58"उ
16	पू 16	75°48'46.32"पू	26°55'54.78"उ
17	पू 17	75°46'54.48"पू	26°56'23.04"उ

18	पू 18	75°47'49.80"पू	26°57'34.14"उ
19	पू 19	75°47'32.52"पू	26°59'29.76"उ

उपाबंध- IV

भू-निर्देशकों सहित नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	अभयारण्य में ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	नाहरगढ़	26°56'15.08"उ	75°48'55.70" पू
2	आमर	26°59'8.19" उ	75°51'4.82" पू
3	चिमनपुरा	27° 1'23.51" उ	75°54'4.74" पू
4	कुकास	27° 1'50.37" उ	75°53'24.08" पू
5	नेतीवाम	27° 1'39.28" उ	75°52'25.41" पू
6	खुर्द	27° 2'4.37" उ	75°53'7.23"पू
7	तेलादा	27° 2'41.57" उ	75°52'25.42"पू
8	बेडेगांव झरखेया	27° 2'14.47" उ	75°51'22.67"पू
9	मिनियावाम	27° 0'37.93" उ	75°50'51.32"पू
10	अक्रेदा	27° 0'25.41" उ	75°48'45.67"पू
11	जमला	26°59'36.43" उ	75°49'17.09"पू
12	पेपाद	26°58'4.10" उ	75°47'41.57"पू
13	किशनवाग	26°57'5.81" उ	75°46'54.65"पू
क्र. सं.	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	कुकास	27° 1'50.37" उ	75°53'24.08"पू
2	हरवार	27° 3'58.08" उ	75°56'25.90"पू
3	धन्द	27° 4'44.03" उ	75°56'20.66"पू
4	गुनावाता	27° 5'34.61" उ	75°56'57.21"पू
5	लावाना	27° 6'38.16" उ	75°57'45.56"पू
6	अनी	27° 7'5.48" उ	75°59'7.83"पू
7	अचोराल	27° 8'8.37" उ	75°58'20.78"पू
8	जैतपुरा किनची	27° 7'58.38" उ	75°55'2.24"पू
9	छिप्परारी	27° 6'44.47" उ	75°54'51.62"पू
10	सिंहाना	28° 5'52.77" उ	75°50'0.01"पू
11	चोकालयावास उर्फ केचरेवाला	27° 4'30.74" उ	75°55'2.22"पू
12	भगवाडा	27° 5'28.14" उ	75°50'51.42"पू
13	दौलतपुरा	27° 4'46.15" उ	75°49'53.80"पू

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें)।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्राम्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में मद्दश्य चुट्टियों के मुद्धार के लिए व्यवहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी मंत्री जोन वार) व्यौरा एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबंध किए जा सकते हैं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिमूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की मंत्रीशा के मामलों का सारांश। (व्यौरा एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिमूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की मंत्रीशा के मामलों का सारांश। (व्यौरा एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दाखिल की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O.1220(E).—WHEREAS, a draft notification was re-notified and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2995 (E), dated the 11th September, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 12th September, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Nahargarh Wildlife Sanctuary is lying between latitudes 26°56'15.08"N & 26°57'5.81"N and longitudes 75°48'55.70"E & 75°46'54.65"E. The Sanctuary was notified vide Government of Rajasthan notification No. F11 (39) Revenue/8/80 of dated the 22nd September, 1980. The sanctuary is situated in the Aravalli ranges at Amber hills, Jaipur district of Rajasthan and is spread over an area of 52.40 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary has "Tropical Dry Deciduous Forest" and "Tropical Thorn Forest" as per classification of Champion and Seth. The forest is spread over the area on various geological and soil formations over the hilly terrain of Aravallis and hence varies in composition;

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary has a variety of habitats for diversified flora and major flora of this sanctuary includes salar (*Boswellia serrata*), gurjan (*Linnaea gradis*), tendu (*Dispyros melanoxylon*), karaya (*Sterculia urens*), gugal (*Commiphora mukul*), amaltas (*Cassia fistula*), awanla (*Embellica officinalis*), binnas (*Hesparathusa cranulata*), um (*Seccopetalum tomentosa*), goya khir (*Dishrostachya cineria*), sainja (*Maringa pter. josperma*), dhak (*Butea monosperma*), rahan (*Soydmida febriguga*), mokha (*Scherebra swetenoides*), rohini (*Mallatus*

philipnensis), ber (*Zizphus jujuba*), jamun (*Syzyguim cumini*), gular (*Ficus glomerata*), kadam (*Mitragyna parvifolia*), bahira (*Terminalia bellerica*), dhaora (*Anogeissus latifolia*), kahjur (*Phoenix syvestris*), hingot (*Balanites aegyptica*), khair (*Acacia catechu*), sevan (*Gmelia arborea*), arjun (*Terminalia arjuna*), neem (*Azadirachta indica*), peepal (*Ficus religiosa*), bargad (*Ficus benghalensis*), shiham (*Dalbergia sissoo*), bijasal (*Pterocarpus marsupium*), kakon (*Flacourita indica*), kharini (*Wrightia tinctoria*), dudhi (*Wrightia tomentosa*), jhinjha (*Bauhinia recemosa*), casaeria (*Casaeria tomentosa*), barn (*Creataeva relegiosa*), bel (*Aegle marmelose*), ronj (*Acacia marmelose*), lisora (*Cordia myxa*), churel (*Holoptelia intergriloila*), aam (*Mangifera andica*), imli (*Tamarindus indica*), kaith (*Limonia acidissima*), siris (*Albizzia lebbek*), semal (*Bombaz ceriba*), celastrus (*Cleastrus paniculates*), etc.;

AND WHEREAS, the Sanctuary has variety of habitats for diversified fauna. Fish species recorded from of this Sanctuary includes catal (*Catla catla*), greyei (*Channa marulius*), lanchi (*Walago attu*), mahseer (*Tor tor*), mirgal (*Cirrhinus mrigala*), roho (*Labeo rohita*), savank (*Channa punctatus*), seenghari (*Mystus seenghala*). Apart from fishes, the common Indian toad (*Bufo melanostictus*), common frog (*Rana tigerina*), banded krait (*Bugorus fasciatus*), cobra (*Naja naja*), common krait (*Bungarus caeruleus*), fresh water swamp crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian python (*Python molurus*), north Indian flap shelled turtle (*Lissemys punctata punctata*), rat snake (*Ptyas mucosus*), leopard (*Panthera pardus*), etc. the main fauna of the sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0 (zero) to 13 kilometers around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary, in Jaipur district of Rajasthan as Eco-Sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.**— (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 13 kilometers around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is 79.356 square kilometres. Zero extent is towards the sides with heavy urbanization.
 - (2) The boundary description of Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Nahargarh Wildlife Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, and **Annexure-IIB**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in table **A** and **B** of **Annexure-III**.
 - (5) The lists of village falling in the Sanctuary and proposed Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points are appended as **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.**— (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment,
 - (ii) Forest.
 - (iii) Urban Development.
 - (iv) Tourism.
 - (v) Revenue.
 - (vi) Agriculture,
 - (vii) Rural Development.
 - (viii) Irrigation and Flood Control,
 - (ix) Municipal,
 - (x) Panchayati Raj,
 - (xi) Public Works Department, and
 - (xii) Rajasthan State Pollution Control Board.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;
- (v) rainwater harvesting; and
- (vi) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer;

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under.-
- (a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-Sensitive Zone.**- All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972, (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
11.	Use of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.

		<p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
14.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
15.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.

26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Bio-Medical Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
32.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
33.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
C. Promoted Activities		
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
40.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
45.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the

Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Jaipur	Chairman. ex officio:
2.	Sub Divisional Officer, Amer	Member;
3.	A representative of non-governmental organisation or working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years	Member;
4.	One expert in Ecology and Environment from reputed institution or university of the State to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years.	Member;
5.	Honorary wildlife warden, Jaipur	Member;
6.	Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board	Member;
7.	Mayor, Jaipur Municipal Corporation	Member;
8.	Pradhan, Panchayat Samiti, Amer	Member;
9.	Member of the State Biodiversity Board	Member;
10.	Deputy Conservator of Forest/Wildlife, Jaipur	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/60/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY

In order to delineate boundaries of Eco-Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary all field structures, habitations, water bodies, industrial areas, religious places and other public institutes as provided by the revenue authorities have been marked on the map annexed with this notification. Geographical Positioning System (GPS) have been marked on the Sanctuary boundaries, which are numbered from 1 to 100 on the map. Then the boundaries of Eco-Sensitive Zone have also been marked on the same map and its Geographical Positioning System points have also marked on the boundary and numbered as 101 to 336. This map is annexed as Annexure-II. The boundary of Eco-Sensitive Zone is decided as indicated by the Geographical Positioning System points shown on this map as under:

Northern boundary: The extent of Eco-Sensitive Zone from Global Position point number 186 marked on reserve forest block boundary Amer-54 and Eco-Sensitive Zone boundary including villages Bagwara, Singwana, Chhapradi, Jaitpura Khinchi, Achrol, Ani, Labana, Gunawata, Dhandh, Harbar to Kukas to Global Position System point number 270 will be up to 13 kilometers. Eco Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 186 to 270 is co-terminus with the boundary of reserve forest block Amer-54 and will include the whole reserve forest in the Eco-Sensitive Zone within these Global Position System points.

Eastern boundary: The extent of Eco-Sensitive Zone from Global Position System point number 270 to 280 will be Reserve forest block boundary, from Global Position System point number 280 to 281 will be along National Highway No. 8 (Now NH-11-C), from Global Position System point number 281 to 295 will be 100 meters to 500 meters from sanctuary boundary. Similarly, the boundary along NH 8 (Now 11 C) from Global Position System point 295 to 297 will be Eco Sensitive Zone. Reserve forest block boundary from GPS point number 297 to 320 will be Eco-Sensitive Zone limit. Sanctuary boundary from Global Position System point number 320 to 325 will be Eco Sensitive Zone limit including Rajamal ka talab. The extent of Eco Sensitive Zone from Global Position System point number 297 to 325 will be from 100 meters to 2.0 kilometers.


Southern boundary: Eco-Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 325 to 336 and up to 101 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 101 to 104 it will be co-terminus with the boundary of reserve forest Block Amer -54. From GPS point number 104 to 108 it will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 108 to 147 it will run along the natural boundary (flow as well as bed area up to both banks) of Amanishah Nallah.

Western boundary: Eco-Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 147 to 160 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point

number 160 to 186 it will be 50 meters to 2 kilometers including Bahav sagar, Akhepura, Badagaov, Bhatiya, Bishangarh Areas.


ANNEXURE-IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI)
TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75°47'22.26"E	26°58'15.90"N
2	E02	75°48'0.42"E	26°59'52.80"N
3	E03	75°49'17.10"E	27° 0'44.70"N
4	E04	75°50'26.10"E	27° 2'27.36"N
5	E05	75°52'27.78"E	27° 2'42.42"N
6	E06	75°53'9.90"E	27° 1'40.92"N
7	E07	75°52'28.38"E	26°59'29.76"N
8	E08	75°51'22.56"E	26°59'9.90"N
9	E09	75°50'30.78"E	26°57'21.54"N
10	E10	75°48'40.80"E	26°56'2.40"N
11	E11	75°48'7.62"E	26°57'13.68"N

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75°49'5.16"E	27° 1'16.50"N
2	E02	75°49'42.06"E	27° 3'12.42"N
3	E03	75°51'3.42"E	27° 3'58.98"N
4	E04	75°51'18.48"E	27° 4'43.20"N
5	E05	75°52'32.70"E	27° 5'50.52"N
6	E06	75°53'56.40"E	27° 6'51.30"N
7	E07	75°54'47.52"E	27° 3'33.66"N
8	E08	75°56'44.58"E	27° 8'17.22"N
9	E09	75°57'37.56"E	27° 6'40.56"N
10	E10	75°56'5.70"E	27° 6'19.50"N
11	E11	75°55'20.28"E	27° 4'55.74"N
12	E12	75°54'1.20"E	27° 2'34.56"N
13	E13	75°53'7.32"E	26°59'18.30"N
14	E14	75°52'14.04"E	26°57'45.00"N
15	E15	75°51'5.28"E	26°57'14.58"N
16	E16	75°48'46.32"E	26°55'54.78"N
17	E17	75°46'54.48"E	26°56'23.04"N

18	E18	75°47'49.80"E	26°57'34.14"N
19	E19	75°47'32.52"E	26°59'29.76"N

ANNEXURE-IV

LISTS OF VILLAGES COMING UNDER NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Villages in the Sanctuary	Latitude	Longitude
1	Nahargarh	26°56'15.08"N	75°48'55.70"E
2	Amer	26°59'8.19"N	75°51'4.82"E
3	Chimanpura	27°1'23.51"N	75°54'4.74"E
4	Kukas	27°1'50.37"N	75°53'24.08"E
5	Nestiwas	27°1'39.28"N	75°52'25.41"E
6	Khurad	27°2'4.37"N	75°53'7.23"E
7	Taleda	27°2'41.57"N	75°52'25.42"E
8	Badagaon Jarkhya	27°2'14.47"N	75°51'22.67"E
9	Sisiyawas	27°0'37.93"N	75°50'51.32"E
10	Akeda	27°0'25.41"N	75°48'45.67"E
11	Jaisalya	26°59'36.43"N	75°49'17.09"E
12	Papad	26°58'4.10"N	75°47'41.57"E
13	Kishanbag	26°57'5.81"N	75°46'54.65"E
Sl. No.	Villages in Eco-sensitive Zone	Latitude	Longitude
1	Kukas	27°1'50.37"N	75°53'24.08"E
2	Harwar	27°3'58.08"N	75°56'25.90"E
3	Dhand	27°4'44.03"N	75°56'20.66"E
4	Gunawata	27°5'34.61"N	75°56'57.21"E
5	Labana	27°6'38.16"N	75°57'45.56"E
6	Ani	27°7'5.48"N	75°59'7.83"E
7	Achoral	27°8'8.37"N	75°58'20.78"E
8	Jaitpura Khinchi	27°7'58.38"N	75°55'2.24"E
9	Chhapreri	27°6'44.47"N	75°54'51.62"E
10	Singhwana	28°5'52.77"N	75°50'0.01"E
11	Chokhalyawas urf Kacherawala	27°4'30.74"N	75°55'2.22"E
12	Bagwada	27°5'28.14"N	75°50'51.42"E
13	Daulatpura	27°4'46.15"N	75°49'53.80"E

ANNEXURE-V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-Sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (A) DEPARTMENT

FROM:

The Deputy Secretary to Government,
Rajasthan, JAIPUR.

TO:

The Chief Conservator of Forests,
Rajasthan, JAIPUR.

No.F.7(2)REV/A/70

Jaipur, dated the 22nd March, 1971

Sub: Release of forest land in village Kukar Kheda
for industrial purposes.

Ref: This Deptt. letter of even number dated 30-1-71.

Sir,

In continuation of this department letter under referen
I am directed to convey sanction of the Governor to release 25
& 14 Biswas of forest land as per details given below to the Re
Department for industrial purposes on the terms and conditions
conveyed to you vide letter under reference:-

<u>Village</u>	<u>Khasra No.</u>	<u>Bigha</u>	<u>Biswa</u>
Kukar Kheda	4	6	00
-do-	9	9	07
Besar Papar	14	3	12
-do-	15	5	00
-do-		1	15
		25	14



TRUE COPY

Yours faithfully,

sd/-

(GANPAT RAI)

Deputy Secretary to Government.

Copy in continuation to this Department endorsement of
number dated 30-1-71 forwarded to the following for information
necessary actions:-

1. Secretary to the Government, Industries Department, Rajasthan
2. Collector, Jaipur.
3. Chairman, Rajasthan State Industrial & Mineral Development Corporation, Jaipur.
4. Dy. Secretary to the Govt., Revenue 'B' Deptt., Raj., Jaipur.
5. Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur.
6. Director of Industries, Rajasthan, Jaipur.
7. Chief Town Planner & Architectural Adviser, Rajasthan, Jaipur
8. Guard File.

sd/-

Deputy Secretary to Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (A) DEPARTMENT

FROM:
The Deputy Secretary to Government
Rajasthan, Jaipur

TO:
The Chief Conservator of Forests,
Rajasthan, Jaipur.

No.F.7(2)REV/A/70 Jaipur dated the 30th Jan.,

Sub: Release of forest land in village Kukar Kheda
Industrial purposes.

Ref: This Deptt. endorsement of even number dated 6-

Sir

I am directed to convey sanction of the Governor to 572 Bighas & 12 Biswas of forest land as per details given Village Kukar Kheda to the Revenue Department for Industrial purposes.

The payment cost of trees/forest produce standing on forest land will deposited forthwith by the Rajasthan State Industrial & Mineral Development Corporation, Jaipur, after the same has been determined by the Forest Department in Consultant with the Forest Secretary.

Kukar Kheda Bir Papad	Khasra No. 6 (Part)	74 Bighas	3 Biswas
	1	100 Bighas	10 Biswas
	2	6 Bighas	14 Biswas
	3	131 Bighas	9 Biswas
	4	77 Bighas	6 Biswas
	5	112 Bighas	18 Biswas
	6	38 Bighas	12 Biswas
	7	31 Bighas	
	Total:-	572 Bighas	12 Biswas

Yours faithfully,

sd/-

(GANPAT RAI)

Deputy Secretary to the Government

Copy in continuation to this department endorsement or even dated 6.1.70 forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary to the Govt., Industries Department Rajasthan, Jaipur
2. Collector, Jaipur with reference to his D.O. Letter No.337/ dated 7.1.71.
3. Chairman, Rajasthan State Industrial & Mineral Development Corporation Ltd., Jaipur.

मर्ग रिपोर्ट तन ग्राम कूकरखेडा व बीड पापड निगम राज. जयपुर
हेतु तहसील जयपुर को स्थानान्तरण किया गया।

राज्यादेश संख्या एफ.7(2)रा.क.70 दिनांक 30.1.70 के अनुपालन में
दिनांक 10.3.71 को तहसील जयपुर को क्षेत्रीय वन अधिकारी जयपुर द्वारा
संभाला गया। खसरा नम्बर

नाम ग्राम	खतौनी	रकबा बीघा निस्वा
कूकरखेडा	6 पार्ट	74-3
बीड पापड	1	100-10
”	2	6-14
”	3	131-2
”	4	77-6
”	5	112-18
”	6 पार्ट	38-12
”	7 पार्ट	31-04
	कुल योग	572-12

ह0
तहसीलदार

जसाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(वी)
(द्वितीय नियम 153 ए)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- पापड़
पटवार हल्का :- मोटवाड़ा
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- जयपुर (पश्चिम)
तहसील :- जयपुर
जिला :- जयपुर
सम्यत :- 2069 - 2072
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 22
खाता संख्या पुराना :- 25
काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :- राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल
मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सदेत लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	100-10	बीड 1	100-10	50.25		
2	6-14	बीड 1	6-14	3.35		
3	131-09	बीड 1	131-09	65.72		
4	77-06	बीड 1	77-06	38.85		
5	112-18	बीड 1	112-18	56.45		
6	38-12	बीड 1	38-12	19.30		
7/1	31	बीड 1	31	15.50		
कुल	7	498-09	498-09	249.22		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 17/10/2014

NIG

जयपुर जिला कार्यालय 1942

① - जिसका हकीमत सन् 1987 - 28/-

खसरा नं 3

② - जिसका हकीमत सन् 1987 - 28/-

खसरा नं 3

③ - जिसका हकीमत सन् 1987 - 28/-

खसरा नं 3

ATTESTED TRUE COPY
Issued Under RTI Act 20.
23 MAY 2022
Public Information Officer, NIG Ltd.
J/POUR (G-14), Road No. 5, A.K.I. 081

सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर

Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur

No. IM/P-2(24)177/2019/274
 Dated: 24/12/2021

Subject: Minutes of meeting of committee constituted for planning of New Industrial Area held on 23.12.2021

The meeting of the committee constituted for planning of New Industrial Area was held on 23.12.2021 under the Chairmanship of Sh. Ashutosh A.T. Pednekar, Managing Director, RIICO, at Meeting Room, Head Office, Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur.

Following officers were present in the meeting:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ms. Rukmani Riar Sihag | Executive Director |
| 2. Sh. Pukhraj Sen | Advisor (Infrastructure) |
| 3. Sh. D. S. Dhaddha | OSD (Land) |
| 4. Sh. Vijay Gupta | GM (Civil)/(EM) |
| 5. Sh. Dinesh Pahadia | GM (BP) |
| 6. Sh. S. K. Gupta | GM (P&D) |
| 7. Sh. P. R. Meena | Sr. DGM (Bhilwara) - On VC |
| 8. Sh. C. L. Gandhiwal | Sr. DGM (Ghilothe) - On VC |
| 9. Sh. Mahendra Singh | Sr. DGM (Jaipur-North) - On VC |
| 10. Sh. S. K. Garg | Sr. DGM (Kota) - On VC |
| 11. Sh. S. C. Garg | Sr. DGM (Necmrana) - On VC |
| 12. Sh. Saleem Ahmed | S.E. (Power) |
| 13. Sh. C. P. Sharma | S.E. (Power) |
| 14. Sh. Sanjay Waghmare | Sr. Town Planner |
| 15. Sh. J. P. Sharma | Sr. RM (Ajmer) - On VC |
| 16. Sh. R. C. Vaishnav | Sr. RM (Balotra) - On VC |
| 17. Sh. Vikram Singh Nimesh | Sr. RM (Banswara) - On VC |
| 18. Sh. R. K. Singh Ruhela | Sr. RM (Jaipur-Rural) - On VC |
| 19. Sh. Ajay Pandya | Sr. RM (Rajsamand) - On VC |
| 20. Sh. S. K. Nenawati | Sr. RM (Udaipur) - On VC |
| 21. Sh. Rahul Bhatt | RM (Alwar) - On VC |
| 22. Sh. Paresh Saxena | RM (Dausa) - On VC |

Following proposals for new planning/re-planning were received from the respective Unit Offices for approval as per provision of rule 20-A of RIICO Disposal of Land Rules, 1979. Accordingly, Town Planning Cell has prepared draft plans and proposals were discussed by the committee, decisions of the committee are as follows:

Proposal No. 1: Re-planning of Industrial Area Pratargarh Extension, Banswara

- Unit office has submitted the matter for re-planning of Industrial Area Pratargarh (Ext.) district Banswara.



S. No.	Name of Industrial Area	Plot no. & area (sqm)	Use of plot as per original/earlier planning	Unit office proposal
		B-301 (A) (4000 sqm)		
8.	Behror, Alwar	G-204 (1844 sqm)	Industrial	Warehousing to Industrial
9.	Dhoinda, Rajsamand	WH-1 (5000 sqm)	Services	Warehousing to Industrial

Decision: It was informed that above plots for warehousing were planned exclusively on demand by RSBCL/RSGSML. Now, RSBCL/RSGSML have denied to take allotment of these plots due to their own reasons and now there is no demand by them for allotment of land. Therefore, the committee was of view that there is no option except to revert back to original status of these plots. Accordingly, approval was accorded to restore original planning of these plots. Town Planning Cell, accordingly, issue revised layout plans.

Proposal No. 3(i): Re-planning of warehousing plot as industrial plot at Industrial Area IID Centre, Baran

1. Unit office has submitted the matter for re-planning of warehousing plot nos. G-341 to G-347 as industrial plots at Industrial Area IID Centre, Baran.
2. As proposed and information provided by unit office, above plots have been re-planned for warehousing purpose at Industrial Area IID Centre, Baran.

Decision: Committee was of the view that Warehousing plots shall be retained.

Proposal No. 3(ii): Re-planning of warehousing plot as industrial plot at VKIA, Jaipur

1. Planning of land of Khasra no. 3 at Vishwakarma Industrial Area, Jaipur was approved on dated 16.12.2019. In which, total 35 plots measuring from 1500 sqm to 3000 sqm were planned for warehousing & logistic purpose.
2. Unit office mentioned that out of these plots, 10 plots were proposed for e-auction for 2 times but no bidder has participated in both e-auctions.
3. Sr. DGM proposed to change these plots for industrial use with minimum reserve price of Rs. 36000/- per sqm (equivalent to warehousing plots).
4. As proposed and information provided by unit office, above plots have been re-planned for industrial purpose.

Decision: Committee has approved the re-planning proposal and directed to put up these industrial plots in e-auction without any upward revision in the reserve rate of auction.


Minutes of meeting of committee constituted for planning of New Industrial Area at VKIA, Jaipur on 23.11.2021.


ATTESTED TRUE COPY
Issued Under RTI Act 2008
Date: 23/11/2021
3/6


5. Ghiloth (NCR), Ukhalaya (Bhilwara), Soniyana (Bhilwara) & Gajner (Bikrner).
6. In order to cater to potential demand of engineered stone industries and in order to encourage the new sector of engineered stones, BP Cell has proposed to consider expanding the scope of permissible units in existing and upcoming ceramic zones to allow tiles, slabs and other engineered stone products (including composite tiles of stone polymers) and the names of these zones may also be altered to reflect the expanded scope with 'ceramic and engineered stone' or 'ceramic, glass and engineered stone zone' as applicable.
6. The matter was also examined in EM Cell; they have agreed to the proposal of BP Cell. The proposal of BP Cell is placed before committee for further approval.

Decision: Committee discussed the matter, looking to requirement proposed by the BP Cell; Committee considered to change names of 'Ceramic Zone' and 'Ceramic and Glass zone' to 'Ceramic and Engineered Stone Zone' and 'Ceramic, Glass and Engineered Stone Zone' respectively in all the existing & upcoming Industrial Areas of RIICO.



Sr. Town Planner


SE (Power)-CPS


SE (Power)-SA


GM (P&D)


GM (BP)


GM (Civil)/(EM)


OSD (Land)


Advisor (Infrastructure)


Executive Director


Managing Director

ATTESTED TRUE COPY
Issued Under RTI Act 2005
23 MAY 2022
6/6
Minutes of meeting of committee constituted for Industrial Area held on 23.12.2021
Executive Director, RIICO Ltd.
JAIPUR (North), Road No. 5, V.K.I.A.

**Rajasthan State Industrial development & Investment Corporation
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur**

No.IN/P-2(24)177/2019274

Dated: 24-12-2021

Subject: Minutes of meeting of committee constituted for planning of
New Industrial Area held on 23.12.2021.

The meeting of the committee constituted for planning of New Industrial Area was held on 23.12.2021 under the Chairmanship of Sh. Ashutosh A.T. Pednekar, Managing Director, RIICC, at Meeting Room, Head Office, Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur.

Following officers were present in the meeting:-

1.	Ms Rukmani riar Sihag	-	Executive Director
2.	Sh. Pukhraj Sen	-	Advisor (Infrastructure)
3.	Sh. D.s. Dhaddha	-	OSD (Land)
4.	Sh. Vijay Gupta	-	GM (Civil)/(EM)
5.	Sh. Dinesh Pahadia	-	GM (BP)
6.	Sh. S.K. Gupta	-	GM (P&D)
7.	Sh. P.R. Meena	-	Sr. DGM (Bhilwara - On VC)
8.	Sh. C.L. Gandhiwal	-	Sr. DGM (Ghiloth) - On VC
9.	Sh. Mahendra Singh	-	Sr. DGM (Jaipur-North) - On VC
10.	Sh. S.K. Garg	-	Sr. DGM (Kota) - On VC
11.	Sh. S.C. Garg	-	Sr. DGM (Neemrana) - On VC
12.	Sh. Saleem Ahmed	-	S.E. (Power)
13.	Sh. C.P. Sharma	-	S.E. (Power)
14.	Sh. Sanjay Waghmare	-	Sr. Town Planner
15.	Sh. J.P. Sharma	-	Sr. RM (Ajmer) On VC
16.	Sh. R.C> Vaishnav	-	Sr. RM (Balotra) On VC
17.	Sh. Vikram Singh Nimesh	-	Sr. RM (Banswara) On VC
18.	Sh. R.K. Singh Ruhela	-	Sr. RM (Jaipur-Rural) On VC
19.	Sh. Ajay Pandya	-	Sr. RM (Rajasmand) On VC
20.	Sh. S.K. Nenawati	-	Sr. RM (Udaipur) On VC
21.	Sh. Rahul Bhatt	-	Sr. RM (Alwar) On VC
22.	Sh. Paresh Saxena	-	Sr. RM (Dausa) On VC

Following proposals for new planning/re-planning were received from the respective Unit Offices for approval as per provision of Rule 20-A of RIICO Disposal of Land Rules, 1979. Accordingly, Town Planning Cell has prepared draft plans and proposals were discussed by the committee, decisions of the committee are as follows:

Proposal No.1: Re-planning of Industrial Area, Pratapgarh Extension
Banswara.

1. Unit office has submitted the matter for re-planning of Industrial Area Pratapgarh (Ext.) District Banswara.

S.No.	Name of Industrial Area	Plot No. & Area (Sqm)	Use of plot as per original/earlier planning	Unit office proposal
		B-301(A) (4000 Sqm)		
8.	Behror, Alwar	G-204 (1844 sqm)	Industrial	Warehousing to Industrial
9.	Dhoinda, Rajsamand	WH-1 (5000 Sqm)	Services	Warehousing to Industrial

Decision: It was informed that above plots for warehousing were planned exclusively on demand by RSBCL/RSGSML. Now, RSBCL/RSGSML have denied to take allotment of these plots due to their own reasons and now there is no demand by them for allotment of land. Therefore, the committee was of view that there is no option except to revert back to original status of these plots. Accordingly, approval was accorded to restore original planning of these plots. Town Planning Cell, accordingly, issue revised layout plans.

Proposal No. 3(i): Re-planning of warehousing plot as industrial plot at Industrial Area IIC Centre, Baran.

1. Unit office has submitted the matter for re-planning of warehousing Plot Nos. G-341 to G-347 as Industrial Plots at Industrial Area IID Centre, Baran.
2. As proposed and information provided by unit office, above plots have been re-planned for warehousing purpose at Industrial Area IID Centre, Baran.

Decision: Committee was of the view that Warehousing plots shall be retained.

Proposal No.3(ii): Re-planning of warehousing plot as Industrial plot at VKIA, Jaipur.

1. Planning of Land of Khasra No.3 at Vishwakarma Industrial Area, Jaipur was approved on dated 16.12.2019. In which total 35 plots measuring from 1500 sqm. to 3000 sqm. were planned for warehousing & logistic purpose.
2. Unit office mentioned that out of these plots, 10 plots were proposed for e-auction for 2 times but no bidder has participated in both e-auctions.
3. Sr. DGM proposed to change these plots for industrial use with minimum reserve price of Rs.3600/- per sqm. (equivalent to warehousing plots).
4. As proposed and information provided by unit office, above plots have been re-planned for industrial purpose.

Decision: Committee has approved the re-planning proposal and directed to put up these industrial plots in e-auction without any award revision in the reserve rate of auction.

Ghilotn (NCR), Ukhaliya (Bhilwara) Soniyana (Bhilwara) & Gajner (Bikaner).

5. In order to cater to potential demand of engineered stone industries and in order to encourage the new sector of engineered stones, BP Cell has proposed to consider expanding the scope of permissible units in existing and upcoming ceramic zones to allow tiles, slabs and other engineered stone products (including composite tiles of stone polymers) and the names of these zones may also be altered to reflect the expanded scope with ceramic and engineered stone or ceramic, glass and engineered stone zone' as applicable.
6. The matter was also examined in EM Cell; they have agreed to the proposal of BP Cell. The proposal of BP Cell is placed before committee for further approval.

Decision: Committee discussed the matter, looking to requirement proposed by the BP Cell; Committee considered to change names of 'Ceramic Zone' and 'Ceramic and Glass zone' to 'Ceramic and Engineered Stone Zone' and 'Ceramic, Glass and Engineered Stone Zone' respectively in all the existing & upcoming Industrial Areas of RIICO.

Sd
Sr. Town Planner

Sd
SE (Power) CPS

Sd
SE (Power) SA

Sd
GM (P&D)

Sd
GM (BP)

Sd
GM (Civil)/(EM)

Sd
OSD (Land)

Sd
Advisor (Infrastructure)

Sd
Executive Director

Sd
Managing Director



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- पापड़

अंतिम चौंसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थायी

पटवार हल्का :- झोटवाडा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- झोटवाडा

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- जयपुर

खाता संख्या नया :- 10

जिला :- जयपुर


खाता संख्या पुराना :- 7

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण जयपुर संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
10	8.9157	गै.मु.नला	8.9157			
11	2.0234	बीड़ 2	2.0234	2.00		
11/66	3.3892	बीड़ 2	3.3892	3.36		
11/67	16.9082	बीड़ 2	16.9082	16.74		
11/68	6.7658	बीड़ 2	6.7658	6.70		
11/69	9.0169	बीड़ 2	9.0169	8.93		
11/70	11.3059	बीड़ 2	11.3059	11.19		
11/71	6.7658	बीड़ 2	6.7658	6.70		
11/72	4.8056	बीड़ 2	4.8056	4.76		
11/73	2.7822	बीड़ 2	2.7822	2.75		
11/74	2.5293	बीड़ 2	2.5293	2.50		
11/75	15.7321	बीड़ 2	15.7321	15.57		
11/76	3.5916	बीड़ 2	3.5916	3.56		
12	15.6310	बीड़ 1	15.6310	30.95		
12/48	5.2483	गै.मु.बौध	5.2483			
12/50	1.3279	गै.मु.बौध	1.3279			
12/77	27.8094	बीड़ 1	27.8094	55.06		
12/78	15.6310	बीड़ 1	15.6310	30.95		
13	6.1714	गै.मु.नला	6.1714			
42/1	3.1995	गै.मु.बान्ध	3.1995			
43/1	2.1499	गै.मु.नला	2.1499			
44/1	0.0885	गै.मु.नला	0.0885			
46/1	59.0334	गै.मु.बौध	59.0334			
46/2	27.0886	बीड़ 2	27.0886	26.82		
46/49	1.8970	गै.मु.बौध	1.8970			
46/53	1.0497	गै.मु.बौध	1.0497			
46/54	0.6323	गै.मु.बौध	0.6323			
46/55	1.0749	गै.मु.बौध	1.0749			
46/56	0.6956	गै.मु.बौध	0.6956			
46/57	0.0632	गै.मु.बौध	0.0632			
46/58	4.6792	गै.मु.बौध	4.6792			
46/59	0.7461	गै.मु.बौध	0.7461			
47	1.1382	गै.मु.नला	1.1382			

ID.: COOP/2021/JAIPUR/202695



नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं विकास समिति EDC नाहरगढ़



N: 8005220065001036

29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)
66 ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड, जयपुर

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो.: 9214886314

उपाध्यक्ष
गोपाल नावरिया
मो.: 9414606588

संरक्षक
उमेश काला
मो.: 9829220152

कोषाध्यक्ष

श्रीमती प्रकाश मीणा
मो.: 9287567836

मंत्री

श्रीमान मीणा
मो.: 92000092

महासचिव

श्रीमती मीणा
मो.: 9950009211

सचिव

कमल तिवाड़ी
मो.: 9352538268

उपसचिव

श्रीमती राजेश मीणा
मो.: 9928653057

राजेश मीणा
मो.: 998357911

श्रीमती मीणा
मो.: 9829151325

गामसिंह मीणा
मो.: 9928325192

श्रीमती गादवानी
मो.: 9649491434

वनस्यारण मीणा
मो.: 9742002544

**समिति सलाहकार
लेखरान मीणा**

मो.: 7023390494

श्रीमती मीणा
मो.: 9929354208

संयुक्त सचिव

श्रीमती मीणा
मो.: 9950747698

समिति विधिसलाहकार

श्रीमती मीणा
मो.: 9982765049

प्रयवता

श्रीमती मीणा

क्रमांक : 05

दिनांक : 19/01/2022

श्रीमान मुख्य सचिव,
शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय: वनपाल नाका मायला बाग वन क्षेत्र में रीको द्वारा नाहरगढ़
अभ्यारण्य क्षेत्र में बगैर वन विभाग की अनुमति के नाले का
निर्माण एवं व्यवसायिक एवं गैर वानिकी गतिविधि करने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान उपवन संरक्षक वन्यजीव
चिड़ियाघर, जयपुर के नाहरगढ़ रेंज कार्यालय के अधीन वनपाल नाका
मायला बाग अभ्यारण्य क्षेत्र में रीको द्वारा बगैर वन विभाग की
अनुमति के नाले का निर्माण किया जा रहा है। जिससे कि सम्पूर्ण
अपशिष्ट पदार्थ एवं औद्योगिक क्लेमिकल आरक्षित अभ्यारण्य वन क्षेत्र
में जायेगा तथा इससे वन्यजीवों एवं पर्यावरण को नुकसान होने की
पूर्ण सम्भावना है। रीको द्वारा बगैर वन विभाग की अनुमति के
वन्यजीव अभ्यारण्य एवं ईको सेंसेटिव सीमा में भूमि समतल कर
वाणिज्यिक भूखण्ड निर्माण किये जा रहे हैं। नाहरगढ़ वन्यजीव
अभ्यारण्य क्षेत्र से वाणिज्यिक गतिविधियों को बन्द करने हेतु माननीय
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) द्वारा दिनांक 4.10.21 को राजेन्द्र
तिवाड़ी द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला दिया जा चुका है:-

"ईको सेंसेटिव अधिसूचना के अनुसार E.S.Z. सीमा से 13
कि.मी. दूर तक व्यवसायिक गतिविधियाँ अनुमत नहीं है परन्तु रीको
द्वारा नाहरगढ़ अभ्यारण्य सीमा पर गैर वानिकी गतिविधियाँ संचालित
कर उक्त अधिसूचना की अवमानना की जा रही है जिसे रोकने एवं
कार्यवाही हेतु वन विभाग की राक्षम है।"

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रती

स.लो.सू. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर

No.: COOP/2021/JAIPUR/202895

नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं विकास समिति EDC नाहरगढ़

N : 8005220065001036

29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)

66 ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड, जयपुर

अध्यक्ष
राजेंद्र निवाड़ी
मो.: 9214886314

उपाध्यक्ष
गोपाल नावरिया
मो.: 9414606588

संरक्षक
उमेश काला
मो.: 9829220152

कोषाध्यक्ष

आम प्रकाश मीणा
मो.: 9887567836

मंत्री

मो.: 9672000092

सचिव

डॉ. सहाय मीणा
मो.: 9950009211

सचिव

कमल निवाड़ी
मो.: 9352538268

उपसचिव

एडवाकंट गजेन्द्र सिंह नरुका
मो.: 9928653057

गणधन मीणा

मो.: 998357911

फंड्स खान

मो.: 9829151308

गणेश मीणा

मो.: 9928325192

इश्वर गोदवानी
मो.: 9649491434

सहायक गुर्जर

मो.: 9784092549

समिति सलाहकार

नेहागंज मीणा

मो.: 7023390494

गणेश नारायण मीणा

मो.: 9929354208

संयुक्त सचिव

नमोनाथ मीणा

मो.: 992747698

समिति विधिसलाहकार

एडवाकंट आंकृष्ण कुमार शर्मा

राजस्थान उच्च न्यायालय

मो.: 9982765049

प्रपक्षता

राहित गुप्ता

मो.: 9214033279

क्रमांक :

अतः महोदय से निवेदन है कि शीको द्वारा नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में नाले के निर्माण को ध्वस्त करें तथा वन अभ्यारण्य एवं ईको सेंसेटिव क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों की रोकथाम कर शीको के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध वन अधिनियमों के तहत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक :

भवदीय

विकास

(कमल निवाड़ी)
सचिव**प्रतिलिपि:-**

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) शासन, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हिफ), राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान अतिरिक्त PCCF (CW/LW) राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान CCF (CW) जयपुर।
6. श्रीमान DCF वन्यजीव, चिड़ियाघर, जयपुर।
7. श्रीमान ACF वन्यजीव, नाहरगढ़, जयपुर।
8. श्रीमान वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक, शीको, जयपुर।
9. श्रीमान RO नाहरगढ़, जयपुर।
10. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, शीको, एवं पदेन आयुक्त, जयपुर।

(कमल निवाड़ी)

सचिव

२९ - १० - २०२१

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति

स.ल.सू. अधिकारी

सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर

नाहरगढ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं विकास समिति EDC नाहरगढ

29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)
66ए, तिवाडी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड, जयपुर

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	संरक्षक
राजेन्द्र तिवाड़ी	गोपाल नावरिया	उमेश काला
मो. 9214886314	मो. 9414606588	मो. 829220152

क्रमांक: 05

दिनांक: 19.01.2022

श्रीमान मुख्य सचिव,
शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:-वनपाल नाका मायला बाग वन क्षेत्र में रीको द्वारा नाहरगढ अभ्यारण्य क्षेत्र में बगैर वन विभाग की अनुमति के नाले का निर्माण एवं व्यवसायिक एवं गैर वानिका गतिविधि करने बांबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर, जयपुर के नाहरगढ रेंज कार्यालय के अधीन वनपाल नाका मायला बाग अभ्यारण्य क्षेत्र में रीको द्वारा बगैर वन विभाग की अनुमति के नाले का निर्माण किया जा रहा है। जिससे कि सम्पूर्ण अपशिष्ट पदार्थ एवं औद्योगिक कैमिकल आरक्षित अभ्यारण्य वन क्षेत्र में जायेगा तथा इससे वन्यजीवों एवं पर्यावरण को नुकसान होने की पूर्ण सम्भावना है। रीको द्वारा बगैर वन विभाग की अनुमति के वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पर्यावरण एवं ईको सेंसेटिव सीमा में भूमि समतल कर वाणिज्यिक भूखण्ड निर्माण किये जा रहे हैं। नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बन्द करने हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) द्वारा दिनांक 04.10.21 को राजेन्द्र तिवाड़ी द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला दिया जा चुका है:-

“ईको सेंसेटिव अधिसूचना के अनुसार E.S.Z. सीमा से 13 कि.मी. दूर तक वयावसायिक गतिविधियाँ अनुमत नहीं हैं परन्तु रीको द्वारा नाहरगढ अभ्यारण्य सीमा पर गैर वानिकी गतिविधियाँ संचालित कर उक्त अधिसूचना की अवमानना की जा रही है जिसे रोकने एवं कार्यवाही हेतु वन विभाग की सक्षम है।”

अतः महोदय से निवेदन है कि रीको द्वारा नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में नाले के निर्माण को ध्वस्त करें तथा वन अभ्यारण्य एवं ईको सेंसेटिव क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों की रोकथाम कर रीको के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध वन अधिनियमों के तहत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
(कमल तिवाड़ी)
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान अतिरिक्त PCCE (CWLW) राजस्थान जयपुर
5. श्रीमान CCF (CW) जयपुर
6. श्रीमान DCF वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर
7. श्रीमान ACF वन्यजीव, नाहरगढ, जयपुर
8. श्रीमान वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक, रीको, जयपुर
9. श्रीमान RO नाहरगढ, जयपुर।
10. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, रीको, एवं पदेन आयुक्त, जयपुर।

(कमल तिवाड़ी)
सचिव

संलग्न - फोटो प्रति।

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

2160 विविध प्रति

पुस्तक संख्या

24

(1) तारीख दिनांक 22-01-2022

(2) दोषी का नाम, पति एवं निवाहस्थान - पोखन रिटजो
उमर सिंह निवासी - निवाहेंडा तहसीला - जयपुर
जिला - जयपुर (राज.)

(3) अपराध का विवरण - नाहरगढ़ अभयारण्य में 652 में
अज्ञात प्रजाति के गेंदों का गंदा अपशिष्ट डालना देखा

(4) घटना का स्थान - जंगल का निर्माण
रोड नं. 91/K2

(5) दिनांक अपराध करीब 22-1-2022

(6) विवरण - वेदाचार संवत् की 4 वही वई व जो जायंदा की
वई निम्नानुसार

(7) विवरण - मुकुंदजी से क्या वका

(8) नाम वाली श्री राजाराम जीवा निवा.

श्री श्रीमती कुमार कर.

गो. 20/20/6
हस्ताक्षर दिनांक 22/1/22
वनपाल नाहरगढ़
रेन्जा - नाहरगढ़

रिपोर्ट क्रमांक की सूचना दिनांक 01/04/2022 को जारी की जायेगी।
सूचना प्रकाश करनी चाहिये।

सूचना का अधिकार अधि.
के तहत सूचना प्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ़ अभयारण्य
चिडियाघर, जयपुर

वन विभाग, राजस्थान
अपराध की प्रारम्भिक सूचना
द्वितीय प्रति

पुस्तक क्रमांक - 2160

34

- (1) तारीख रिपोर्ट - 22.01.2022
- (2) दोषी का नाम - पोखन सिंह पुत्र प्रभू सिंह निवासी निंबाहेरा तहसील
रूपवास जिला भरतपुर (राज.) (MS ब्रह्म प्रकाश मोदी)
- (3) अपराध का विवरण - नाहरगढ अभयारण्य में ई-52 में इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र
का गंदा अपशिष्ट डालने हेतु।
- (4) घटना का - नाला का निर्माण
- (5) दिनांक अपराध का - 22.01.2022
- (6) विवरण पैदावार संबंध दो पकडी गई व जो कार्यवाही की गई है
नियमानुसार
- (7) किसकी सुपुर्दगी में रखा गया -
- (8) गाव वासी - श्री राजाराम मीणा स.व.
श्री अशोक कुमार व.र.

गौरव राठी
हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्द्रा
वनपाल नाका मायलाबाग
रेन्ज नाहरगढ

रा. मु. उ.

नंत 1

वन विभाग (फार्म आमदनी) नं. 1 (कप्रत)

वन विभाग, राजस्थान

डिविजन _____

(नाके पर रहने की)

बुक नं.

32

पेज नं.

सं.

सदर नं.

नाका नं.

ता.

- मियाद

से

तक

नाम नाका मापन (फार्म) नाम रजि. जंगल अक्षरपत्र

नाम जंगल जहाँ से पैदावार लाई जावे गाँव नाम

पैदावार कहाँ जावेगी स्थान

मियाद _____

नाम खरीददार श्री. जयराज सिंह जयपुरी -

सकूनत मय पता श्री. जयराज सिंह जयपुरी -

मार्फत (MS. लाल जयपुरी जयपुरी)

किस्म पैदावार 2160/64

तादाद 22-01-2022

तादाद महसूल 22-01-2022

रकम 2,00,000/- अंको में 20 लाख मात्र

साविक 3000/- हाल 200000 बीजान 203000

ह. इजराय कुनिन्दा

ह. न्यापारी

बुक्का का अधिकार अधिकारी
के तहत कर्मा प्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी

नाहरगढ़ अभ्यारण

चिडियाघर, जयपुर

रा.मु.उ.

नंत 1

वन विभाग (फार्म आमदनी) नं.1 (कप्रत)

वन विभाग, राजस्थान
डिपिजन

(नाके पर रहने की)

बुक नं.				पेज नं.
सदर जं.	32			सं.
नाका नं.	ता.	मियाद	से	तक

नाम नाका मायलाबाग नाम रेन्ज नाहरगढ अभयारण्य

नाम जंगल जहाँ से पैदावार लाई जावे बीड पापड

पैदावार कहाँ जावेगी एवजाना

मियाद

नाम खरीददार पोखन सिंह पुत्र प्रभू सिंह निवासी निंबाहेरा तह. रूपवास
जिला भरतपुर (राज.) (MS ब्रह्म प्रकाश मोदी)

मार्फत - स्वयं

किस्म पैदावार 2160/64
22.01.2022

तादाद शहर

तादाद महसूल

DD No. 041699/25-1-2022

रकम 2,00,000 अंको में दो लाख मात्र

साबिक 3000/- हाल 200000 मीजान 203000

ह. इजराय कुनिन्दा

ह. व्यापारी

मौका पंचनामा

(राजस्थान वन अधिनियम 1933 की धारा 72 (सी) के अन्तर्गत)

जसिलसिले तपतीश एफ. आई. शा. क्रमांक 2160/34 दिनांक 22-1-2022

वपुकाप रोड नं-9 ज.प्र.1
 दिनांक 22-01-2022 समय द्वारा वनाधिकारी गौरव रानी, वनपाल
 रूबरु हम राहियान (स्टाफ) (1) श्री राजाराम श्रीवा. ख.व.
 (2) श्री अशोक कुमार व.र.
 (3)

हालात मौका यह है कि श्रीमान लक्ष्मण के. लोरेडके, गजलफट
 कछी जेडीने इस्लाम वा भुयता दी वी UKI में रोड
 नं. 9 के पास वन भूखि वर गाले का निष्पत्ति भिदा
 पति रहते हैं उसके पर्याप्त हफरात हफरात के साथ नोबे
 वर 4500 को देखा कि एक सीमेंट मिस्तर इन्क
 RJ 146L 4334 से सीमेंट मंत्री केंद्री इस्लाम गाले
 (पम्पा गाले) का निष्पत्ति कर रहे हैं। जो राज. वन.
 अधि. की धारा 26 का उल्लंघन है। कतः नोबे से
 टूट कर जो लगे रहिदा तथा रोजे परिभा में लगे बड़ा
 मिदा नोबे पंचनामा कापते थे लिख 4600
 लाले को भुनापति ग.प्र.

पर्व मौका रति किया जाकर हाजरीन को पदकर सुनाया गया जो सबने सुनकर सही होना तसलीम
 किया। अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर / निशानी ली गयी।

लक्ष्मण ल.व.

गौरव रानी

वपुकाप का अधिकार बधि. रेंज- नाहरगढ़
 के तहत उजा प्रति प्रमाणित

जैशवनसिंह

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 नाहरगढ़ अभ्यारण
 चिडियाघर, जयपुर

मौका पंचनामा

(राजस्थान सन अधिनियम 1983 की धारा 72 (सी) के अन्तर्गत)

बसिलसिले तपतीश एफ.आई.आर. क्रमांक 2160/34 दिनांक 22.01.2022

बमुकाम रोड नं. 9 वी.के.आई.

दिनांक 22.01.2022 समय द्वारा वनाधिकारी गौरव राठी, वनपाल

रुबरु हम राहियान (स्टाफ) (1) श्री राजाराम मीणा स.व.

(2) श्री अशोक कुमार व.र.

हालात मौका - यह है कि श्रीमान सहायक वन संरक्षक, गजनफर अली जैदी ने दूरभाष पर सूचना दी थी वी.के.आई. में रोड नं.9 के पास वन भूमि पर नाले का निर्माण किया जा रहा है। इसके पश्चात हमराज स्टायफ के साथ मौके पर पहुँचे तो देखा कि एक सीमेंट मिक्सर ट्रक RJ 14GL 4334 से कंक्रीट डालकर नाले (पक्का नाला) का निर्माण कर रहे थे। जो राज. वन अधि. की धारा 26 का उल्लंघन है। अतः मौके से ट्रक को जब्त किया तथा रेंज परिसर में लाकर खड़ा किया मौका पंचनामा कायम कर लिप्यपढकर सभी को सुनाया गया।

पर्चा मौका रति किया जाकर हाजरीन को पढकर सुनाया गया जो सबने सुनकर सही होना तसलीम किया। अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर/निशानी ली गयी।

ह0

वनपाल नाका
मायलाबाग
रेन्ज नाहरगढ

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी नहारगढ, अभयारण्य, जयपुर

क्रम सं. 2

दिनांक - 20/12/21

विनोद,

मैनेजर रीको

वी के आई, जयपुर

विषय:- वी के आई रोड नं 9एफ2 के पास रीको द्वारा वन भूमि पर करवाए जा रहे कार्य के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नाका प्रभारी मायलाबाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6 दिनांक 15.12.2021 द्वारा अवगत करवाया है कि रीको द्वारा वी के आई रोड न 9एफ2 के पास मायलाबाग वन्यजीव अभयारण्य की भूमि पर समतलीकरण एवं नाला निर्माण का कार्य किया गया है।

उक्त भूमि नाहारगढ वन्यजीव अभयारण्य की वन भूमि है। अतः उक्त भूमि पर कार्य तत्काल बंद करावे तथा अब तक वन भूमि पर किए गए कार्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट करे दी जाए। इस संबंध में वन संरक्षण अधिनियम एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उक्त प्रावधानों के संबंध में कार्यवाही की जावे।

भवदीय

सूचना का अधिकारी का
के तहत प्रकाशित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नहारगढ, अभयारण्य

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहारगढ अभयारण्य
चिडियाघर, जयपुर

दिनांक

क्रमांक

प्रति: जगन्नाथ उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर, जयपुर को सूचनार्थ।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नहारगढ, अभयारण्य

सूचना अधिनियम के तहत प्रकाशित
फोटो प्रति
क्षेत्रीय वन अधिकारी
संरक्षक वन संरक्षक चिडियाघर, जयपुर

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़, अभयारण्य, जयपुर

क्रमांक

दिनांक: 20.12.21

निमित्त,

मैनेजर रीको
वी.के.आई., जयपुर।

विषय:- वी.के.आई. रोड नं. 9एफ2 के पास रीको द्वारा वन भूमि पर
करवाए जा रहे कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नाका प्रभारी मायलाबाग द्वारा अपने पत्र
क्रमांक 6 दिनांक 15.12.2021 द्वारा अवगत करवाया है कि रीको द्वारा वी.के.
आई रोड नं. 9एफ2 के पास नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की भूमि पर
समतलीकरण एवं नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

भूमि नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की वन भूमि है। अतः उक्त भूमि पर
कार्य तत्काल बन्द करावे तथा अब तक वन भूमि पर किए गए कार्य के संबंध
में स्थिति स्पष्ट करें कि इस संबंध में वन संरक्षण अधिनियम एवं
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही की
जावे।

भवदीय

ह0

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ़ अभयारण्य

क्रमांक

दिनांक:

प्रतिलिपि:- श्रीमान उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडयाघर जयपुर को सूचनार्थ।

ह0

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ़ अभयारण्य

Annex A/11

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़, अभयारण्य, जयपुर

कमांक

दिनांक

निमित्त,

श्री महेंद्र सिंह,

वरिष्ठ प्रबंधक, RIICO

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र,

जयपुर

विषय:- नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर की आरक्षित वन भूमि में अनुपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण रोकने एवं इस बावत निर्मित पक्के नाले हटाने बावत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय/विभाग द्वारा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण हेतु दो पक्के नालों का निर्माण किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी आपके मौखिक रूप से एवं इस कार्यालय के पत्रांक 467 दिनांक 28.12.2021 द्वारा सूचित कर पाबंद किया गया था।

वन क्षेत्र एवं अभयारण्य की भूमि पर अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण (Discharge of untreated effluents in Sanctuary land) ESZ की अधिसूचना 08.03.2019 अनुसार प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप (Prohibited Activity) है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध है।

अतः अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण हेतु निर्मित नालों को तत्काल हटावें एवं अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करावें। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस समस्त कार्य हेतु ईकाई प्रभारी होने के नाते आप पूर्ण रूप से सक्षम एवं जिम्मेदार हैं। तथा समस्त नियमों की पालना आपके द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ़ अभयारण्य

दिनांक 31/01/22

कमांक 66

प्रतिलिपि:- श्रीमान् उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिड़ियाघर जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रतिस.लो.सू. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुरक्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ़ अभयारण्य

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ, अभयारण्य, जयपुर

क्रमांक

दिनांक:

निमित्त,

श्री महेन्द्र सिंह,
वरिष्ठ प्रबन्धक RIICO
विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र
जयपुर।

विषय:- नाहरगढ अभयारण्य जयपुर की आरक्षित वन भूमि में अनुपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण रोकने एवं इस बाबत निर्मित पक्के नाले हटाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय/विभाग द्वारा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण हेतु दो पक्के नालों का निर्माण किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी आपके मौखिक रूप से इस कार्यालय के पत्रांक 467 दिनांक 28.12.2021 द्वारा सूचित कर पाबंद किया गया था।

वन क्षेत्र एवं अभयारण्य की भूमि पर अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण (Discharge of untreated effluents in Sanctuary land) ESZ की अधिसूचना 08.03.2019 अनुसार प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप (Prohibited Activity) है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण हेतु निर्मित नालों को तत्काल हटावें एवं अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करावें। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस समस्त कार्य हेतु ईकाई प्रभारी होने के नाते आप पूर्ण रूप से सक्षम एवं जिम्मेदार हैं। तथा समस्त नियमों की पालना आपके द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है।

भवदीय

ह0

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ अभयारण्य

क्रमांक 66

दिनांक: 31.01.2022

प्रतिलिपि:- श्रीमान उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडयाघर जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह0

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ अभयारण्य


कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़, अमयारण्य, जयपुर

क्रमांक

दिनांक

निमित्त,

श्री महेंद्र सिंह,
वरिष्ठ प्रबंधक, RIICO
विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र,
जयपुर



विषय:- नाहरगढ़ अमयारण्य जयपुर की आरक्षित वन भूमि में अनुपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण रोकने एवं इस बाबत निर्मित पक्के नाले हटाने बाबत।
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 467 दिनांक 28.12.2021 एवं 65 दिनांक 30.01.2022 एवं आपका पत्रांक 3340 दिनांक 02.02.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में नाका प्रवारी की रिपोर्ट के अनुसार आपके द्वारा विकसित किया जा रहे भूखंड का कुछ भाग नाहरगढ़ अमयारण्य की KML File के अनुसार वन भूमि है। इसके अतिरिक्त Industrial waste के निस्सारण (अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण) हेतु नए नालों का निर्माण किया जा रहा है।

वन क्षेत्र एवं अमयारण्य की भूमि पर अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण (Discharge of untreated effluents in Sanctuary land) ESZ की अधिसूचना 08.03.2019 अनुसार प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप (Prohibited Activity) है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

संवेदक द्वारा मौके पर नाला निर्माण करते हुए पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया था एवं नियमानुसार उनके अनुरोध पर शमन किया गया है। अतः अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण हेतु निर्मित नालों को तत्काल हटावें एवं अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करावें। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस समस्त कार्य हेतु ईकाई प्रवारी होने के नाते आप पूर्ण रूप से सक्षम एवं जिम्मेदार हैं। तथा समस्त नियमों की पालना आपके द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ़ अमयारण्य

दिनांक 10/2/2022

क्रमांक 106

प्रतिलिपि:- श्रीगान् उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडियाघर जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति

स.सो.सु. अधिकारी

सहायक वन संरक्षक चिडियाघर, जयपुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ़ अमयारण्य

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ, अभयारण्य, जयपुर

क्रमांक

दिनांक:

निमित्त,

श्री महेन्द्र सिंह,
वरिष्ठ प्रबन्धक RIICO
विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र
जयपुर।

विषय:- नाहरगढ अभयारण्य जयपुर की आरक्षित वन भूमि में अनुपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण रोकने एवं इस बाबत निर्मित पक्के नाले हटाने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 467 दिनांक 28.12.2021 एवं 65 दिनांक 30.01.2022 एवं आपका पत्रांक 3340 दिनांक 20.02.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में जाका प्रभारी की रिपोर्ट के अनुसार आपके द्वारा विकसित किया जा रहे भूखण्ड का कुछ भाग नाहरगढ अभयारण्य की KML File के अनुसार वन भूमि है। इसके अतिरिक्त Industrial waste के निस्तारण (अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण) हेतु नए नालों का निर्माण किया जा रहा है।

वन क्षेत्र एवं अभयारण्य की भूमि पर अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण (Discharge of untreated effluents in Sanctuary land) ESZ की अधिसूचना 08.03.2019 अनुसार प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप (Prohibited Activity) है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

संवेदक द्वारा मौके पर नाला निर्माण करते हुए पाए जाने पर, प्रकरण दर्ज किया गया था एवं नियमानुसार उनके अनुरोध पर शमन किया गया है।

अतः अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण हेतु निर्मित नालों को तत्काल हटावें एवं अनुपचारित बहिस्त्राव के निस्सारण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करावें। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस समस्त कार्य हेतु ईकाई प्रभारी होने के नाते आप पूर्ण रूप से सक्षम एवं जिम्मेदार हैं। तथा समस्त नियमों की पालना आपके द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है।

भवदीय

ह0

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ अभयारण्य

क्रमांक 106

दिनांक: 10.2.2022

प्रतिलिपि:- श्रीमान् उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडयाघर जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह0

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाहरगढ अभयारण्य



कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडियाघर जयपुर
रामनिवास बाग जयपुर

फोन नम्बर: 0141-2817319

ई-मेल dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ. 16 () सर्वे/उवस./जू/2021-22/3234 दिनांक: 25/4/2022
निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,

वन्यजीव, जयपुर

विषय-रीको औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना के लिये आवंटित ग्राम बीड़ पापड़ के खसरा नं 3 की भूमि के संबंध में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.05.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अन्तर विभागीय मुद्दों की चर्चा के क्रम में रीको औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना के लिये आवंटित ग्राम बीड़ पापड़ के खसरा नं. 3 की भूमि के संबंध में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.05.2022 के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट सलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अजय चिरोडा) IFS

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)

चिडियाघर, जयपुर के

दिनांक: 25/4/2022

क्रमांक एफ 16 () सर्वे/उवस./जू/2022-23/3235
प्रतिलिपि:-अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)

चिडियाघर, जयपुर

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति

स.लो.सू. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक चिडियाघर, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडियाघर जयपुर
रामनिवास बाग जयपुर

क्रमांक एफ.16()सर्वे/उवस/जू/2021-22/3234 दिनांक 25.4.2022

निमित्त

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव जयपुर

विषय:- रीको औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना के लिये आवंटित ग्राम बीड़ पापड़ के खसरा नं.3 की भूमि के संबंध में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.05.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अन्तर विभागीय मुद्दों की चर्चा के क्रम में रीको औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना के लिये आवंटित ग्राम बीड़ पापड़ के खसरा नं.3 की भूमि के संबंध में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.05.2022 के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

ह0

(अजय चितोडा)IFS

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
चिडियाघर, जयपुर

क्रमांक एफ.16()सर्वे/उवस/जू/2022-23/3235 दिनांक 25.4.2022

प्रतिलिपि:- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह0

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
चिडियाघर, जयपुर



राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडियाघर जयपुर
रामनिवास बाग जयपुर

फोन नम्बर: 0141-2617319

ई-मेल dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in

तथ्यात्मक रिपोर्ट
Inter department Issue

रीको का औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना के लिए आवंटित ग्राम बीड पापड़ के खसरा नं 3 की भूमि पर 35 भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। यह भूमि नाले से लगती हुई भूमि है तथा नाले की भूमि वनखण्ड बडी लाईन आमर-54 की अधिसूचित आरक्षित वन भूमि है। वनखण्ड बडी लाईन आमर-54 राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग से राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1961 अनुसार वनखण्ड बडी लाईन आमर-54 को आरक्षित वन घोषित किया गया। उक्त वनखण्ड की भूमि में से कुल 14 ग्रामों की 5240 हैक्टियर भूमि को उक्त परिस्थिति व प्राणीजातीय वनस्थिति भू-राज्यता राखन्धित-नैसर्गिक एवं प्राणी महत्व को ध्यान में रखत हुये राजस्थान सरकार द्वारा 22.09.1980 की अधिसूचना अनुसार नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। उक्त अधिसूचना अनुसार नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा नाहरी का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किशनवाग, बीड पापड़ व नाला अमानीशाह से पश्चिम विश्वकर्मा, औद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम जैसला आकेडा, सिस्वावास, बडा गाव व रानीपुरा व खसरा नं 82-85 व 83 का उत्तरी पश्चिमी कोना व सोभा वन क्षेत्र बीड नाले व नालापाली वन क्षेत्र ग्राम दौलतपुरा खसरा नं. 1092-93 में स्थित की गई।

उक्तानुसार नाले की उक्त भूमि नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में आती है तथा रीको द्वारा अनुपचारित बहिस्त्राव दो पक्के नालो के माध्यम से वन्यजीव अभयारण्य की भूमि पर प्रवाहित हो रहा है जो वन्यजीव वनस्थिति एवं वन भूमि के लिये हानिकारक है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी को नुकसान की अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण (Discharge of effluents) पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण निस्सारण के लिये साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा निश्चित मानकों जो भी अधिक कठोर हों के उपबन्धों अनुसार ही किया जा सकता है।

रीको का औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना के लिए आवंटित ग्राम बीड पापड़ के खसरा नं 3 से लगती वन सीमा के निर्माण हेतु उपर्युक्त राी वन विभाग, राजस्व विभाग एवं रीको को प्रस्तावित किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य के लिए आवश्यकता का समाधान हो सके।

भवदीय

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति

स.लो.सू. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक चिडियाघर, जयपुर

(अ.ज.ए. चिडियाघर) IFS
उप वन संरक्षक(वन्यजीव)
चिडियाघर, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडियाघर जयपुर
रामनिवास जाग जयपुर

क्रमांक एफ.16()सर्वे/उवस/जृ/2021-22/3234 दिनांक 25.4.2022

तथ्यात्मक रिपोर्ट
Inter Department Issue

रीको का औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना के लिए आवंटित ग्राम बीड पापड़ के खसरा नं.3 की भूमि पर 35 भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। यह भूमि नाले से लगती हुई भूमि है तथा भूमि वनखण्ड बडी लाईन आमेर 54 की अधिसूचित आरक्षित वन भूमि है। वनखण्ड बडी लाई आमेर 54 राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग से राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1961 अनुसार वनखण्ड बडी लाईन आमेर-54 को आरक्षित वन घोषित किया गया। उक्त वनखण्ड की भूमि में से कुल 14 ग्रामों की 5240 हैक्टेयर भूमि को उनकी परिस्थिति व प्रणीजातीय, वनस्पति भू-संरचना सम्बन्धित-नैसर्गिक एवं प्राणी महत्व को ध्यान में रखते हुये राजस्थान सरकार द्वारा 22.09.1980 की अधिसूचना अनुसार नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। उक्त अधिसूचना अनुसार नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा नाहरी का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किशनबाग, बीड पापड़ व नाला अमानीशाह से से पश्चिम विश्वकर्मा, औद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम जैसला आकेडा, सिस्यावास, बडा गांव व समीपवर्ती क्षेत्र बडा गांव खसरा नं.82-85 व 83 का उत्तरी पश्चिमी कोना, सीमा वन क्षेत्र बीड पापड़ वन क्षेत्र ग्राम दौलतपुरा खसरा नं. 1092-93 निर्धारित की गई।

उक्तानुसार नाले की उक्त भूमि नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में आती है तथा रिको द्वारा अनुपचारित बहिस्त्राव दो पक्के नालों

के माध्यम से वन्यजीव अभ्यारण्य की भूमि पर डाला जा रहा है जो वन्यजीवों, वनस्पति एवं वन भूमि के लिए हानिकारक है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1978 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्तारण (Discharge of effluents) पयावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण निस्तारण के लिये साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानचित्र जो भी अधिक कठोर हो के उपबन्धों अनुसार ही किया जा सकता है।

रीको का औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना के लिए आवंटित ग्राम बीड पापड के खसरा नं.3 से लगती वन सीमा के निर्धारण हेतु उसका सर्वे वन विभाग, राजस्व विभाग एवं रीको

भवदीय
 H0
 (अजय चितोडा)IFS
 उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
 चिडियाघर, जयपुर

आज दिनांक 08.06.2022 को श्रीमान उप वन लेखक वन्यजीव विडियाधर जयपुर के निर्देशानुसार विभागीय सफेद सुमित मैत्री, नाला प्रमोदी मापल बाग गौख राठी के साथ वन खण्ड की लॉट अर्कर 54 के गज कीड पापुड में खसरा नं 3 से लागती वन भूमि के सीमांकन हेतु मोके पर उपस्थित हुए। मोके पर रिडी के प्रतिनिधी भी उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम वन बन्दोबस्त मानचित्रानुसार मोके के निरिक्षण के उपर गण वन बन्दोबस्त मानचित्र अनुसार मोके पर 300 ई स्थापित सिटु मैण्ड नहीं होने के कारण अंदाज से खसरा नं 11 के दफ सिटु (नाले की बरफ) को G.P.S में फिड कर खसरा नं 3 के दफ पूर्ण होने पर फुलेंगे। गज पापुड के खसरा नं 3 की भूमि वन बन्दोबस्त मानचित्र पर अंकेत शम्भुदेव F7 रैवेन्यू A70 दिनांक 30.01.77 के अन्तर्गत आधीगिरी निगम को देनी हेतु वनखण्ड की भूमि से छतानरिती दि गयी है। उक्त खसरा नं 3 की भूमि से वनखण्ड की लॉट अर्कर 54 में शामिल गज कीड पापुड के खसरा नं 10 (नाला) की वन सीमा लागती है। उक्त सीमा पर रिडी द्वारा विचार बन्दोबस्त भी है। वन भूमि के खसरा नं 10 की चोडार अनुसात (नाले की चोडार अनुसात) से विद्य भूमा लागत 550 मीटर चलने पर रिडी द्वारा वन भूमि के खसरा नं 10 की लागत 1100 मीटर² भूमि पर निही जालकर समतल विद्य हुआ पाया गया। रिडी प्रतिनिधी द्वारा बताया गया कि उक्त नक्शे अनुसार उक्त भूमि के लागत 500 मीटर² क्षेत्र पर सड उक्तानि है। वन खसरा नं 10 की भूमि का क्षेत्र नाले की चोडार से विद्य भूमा लागत 1100 मीटर² है। उक्तानुसार रिडी द्वारा खसरा नं 10 की सीमा पर रिडी द्वारा भूमि की सीमा लागत 1100 मीटर² है।

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
 स. लो. स. अधिकारी
 सहायक वन लेखक, जयपुर

ATTESTED TRUE COPY
 Issued Under Section 19(5)
 17/06/2022
 Public Information Officer, NICED
 JAIPUR (North), Road No. 114

कल्य काय उत्तरा
(निदेश प्राप्त किए गए)

1. Perch No. 2 में वर्णित वन भूमि (जिलडा) संपुर्ण लगभग 1100 वर्ग मी. है जो वनखण्ड बड़ी लॉफि आर्सेर 54 डी वन भूमि है, इस भूमि पर सड़क निर्माण व प्लानिंग नहीं किया जाये। इस वन भूमि को दंडुवर प्लानिंग तथा सड़क का Layout किया जाये।

2. इस भूमि पर दो पर्यटन नाले निर्माणधीन है जिनके भौद्योगिकी अपशिष्ट वन भूमि पर निस्तारित किया जावेगा। वन भूमि पर भौद्योगिकी अपशिष्ट निस्तारित करना निषेध है अतः इस बाधक वैकल्पिक व्यवस्था की जाये या उच्च क्षमता का Treatment plant लगाया जाकर कुंवर उपचारित एवं शुद्ध पानी ही अभ्यासण/वन जीमा में निस्तारित किया जाये।

मौडा पंचनामा मोड पर ही बनाया जाकर अपशिष्ट धारणियों को पटा कुमा उर हस्ताक्षर उखाड़े गये।

कुंवर
सर्वकार
आ. 10 CP (W) 2000
जयपुर

Shubh
Sr. Director
RICO

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
स.सो.सू. अधिनियम
सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर

ATTESTED TRUE COPY
Issued Under RTI Act 2005
12 JUL 2022
Public Information Officer, RICO Ltd.
JAPUR (North), Road No. 5, V.K.I.A.

आज दिनांक 08.06.2022 को श्रीमान उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर के निर्देशानुसार विभागीय सर्वेयर सुमित सेनी, नाका प्रभारी मायला बाग गौरव राठी के साथ वन खण्ड बडी लाईन आमेर 54 के ग्राम बीड पापड में खसरा नं. 3 से लगती वन भूमि के सीमांकन हेतु मौके पर उपस्थित हुये। मौके पर रिफो के प्रतिनिधि भी उपस्थित मिले।

सर्वप्रथम वन बन्दोबस्त मानचित्रानुसार मौके का निरीक्षण किया गया वन बन्दोबस्त मानचित्र अनुसार मौके पर कोई स्थायी बिन्दु मौजूद नहीं होने के कारण अंदाजे से खसरा नं.11 के द.प. बिन्दु (नाले की तरफ) को GPS में फिड कर खसरा नं.3 के द.पूर्वी कोने पर पहुंचे। ग्राम पापड के खसरा नं. 3 की भूमि वन बन्दोबस्त मानचित्र पर अंकित राज्यादेश F7 रेवेन्यु A70 दिनांक 30.01.71 के अन्तर्गत आद्योगिक निगम को देने हेतु वनखण्ड की भूमि से हस्तान्तरित की गयी है। उक्त खसरा नं.3 की भूमि से वनखण्ड बडी लाईन आमेर 54 में शामिल ग्राम बीड पापड के खसरा नं.10 (नाला) की वन सीमा लगती है। उक्त सीमा पर रिफो द्वारा दिवार बनाई गयी है। वन भूमि के खसरा नं.10 की चौड़ाई अनुसार (नाले की चौड़ाई अनुसार) सर्वे किया गया लगभग 550 मीटर चलने पर रिफो द्वारा वन भूमि के खसरा नं. 10 की लगभग 1100 मीटर भूमि पर मिट्टी डालकर समतल किया हुआ पाया गया। रिफो प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके नक्शे अनुसार इस भूमि नं.10 की भूमि का सर्वे नाले की चौड़ाई अनुसार सर्वे किया गया। उक्तानुसार रिफो द्वारा खसरा नं.10 एवं खसरा नं.3 की सीमा पर रिफो द्वारा बनायी गयी दीवार लगभग सही पायी गयी।

निर्देश प्रदान किये गये।

1. पैरा नं. 2 में वर्णित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग मी. है जो वनखण्ड बडी लाईन आमेर 54 की वन भूमि है, इस भूमि पर सडक निर्माण व Plotting नहीं किया जावे। इस वन भूमि को छोडकर Plotting तथा सडक का किया Layout जावे।

2. इस भूमि पर दो पक्के नाले निर्माणाधीन हैं जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट वन भूमि पर निस्तारित किया जावेगा। वन भूमि पर औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारित करना नियम विरुद्ध है अतः इस बाबत वैकल्पिक व्यवस्था की जावे या उच्च क्षमता का Treatment Plant लगाया जाकर केवल उपचारित एवं शुद्ध पानी ही अभ्यारण्य/ वन सीमा में निस्तारित किया जावे।

मौका पंचनामा मौके पर ही बनाया जाकर उपस्थित हाजरिनों को पढा सुना कर हस्ताक्षर करवाये गये।

सुमित सैनी
सर्वेयर
कार्या DCR (WL) Zoo
जयपुर

ह0
Sr. D/man
RIICO

(स्मरण पत्र)

सेवानों,

1. श्रीमान मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) अरण्य भवन, झालाना झूंगरी, जयपुर।
4. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर।
6. श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर।
7. श्रीमान उपवन संरक्षक, वन्य जीव, चिडियाघर, जयपुर।
8. श्रीमान सहायक वन संरक्षक, वन्य जीव नाहरगढ, जयपुर।
9. श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्य जीव नाहरगढ, जयपुर।
10. श्रीमान प्रबन्धक निदेशक, रीको एवं पदेन आयुक्त, जयपुर।

विषय:- वनपाल नाका मायला बाग वन क्षेत्र में रिको द्वारा नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में बगैर वन विभाग की अनुमति के नाले का निर्माण व्यावसायिक एवं गैर वानिकी गतिविधि करने बाबत।

संदर्भ:- प्रार्थी द्वारा प्रेषित पूर्व प्रार्थना पत्र/शिकायत दिनांक 19.01.2022, 15.06.2022 के क्रम में।

मान्यवर महोदय,

संदर्भित प्रकरण में निवेदन निम्न प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी द्वारा अपने पूर्व प्रार्थना पत्रों द्वारा आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ सम्बन्धित सभी कार्यालयों को विस्तार पूर्वक अवगत करवाया गया था कि वनपाल नाका मायला बाग वनक्षेत्र में रिको द्वारा नाहरगढ अभ्यारण्य क्षेत्र में बगैर वन विभाग की अनुमति के नाले का निर्माण एवं व्यावसायिक गैरवानिकी गतिविधि की जा रही है। जो कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण

अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.96 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। संलग्न पूर्व प्रार्थना पत्र।

2. यह के नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य आदेश क्रमांक-07 (58) क/61/दिनांक 21.11.1961 द्वारा राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत वन खण्ड आमेर 54 की भूमि को दिनांक 15.01.1982 से आरक्षित वन घोषित करने हेतु गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा राज्य आदेश क्रमांक एफ.11(39) राजस्थान 8/80 दिनांक 22.09.1980 द्वारा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन उक्त क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। जिसे नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया है और उक्त अभ्यारण्य क्षेत्र की चारों सीमाओं को भी निश्चित किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा वन्य जीव संरक्षण आर.6(24)93/ 6784 दिनांक 21.08.1998 द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य को अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य को उद्घोषित किया गया तथा दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को ईको-सेंसेटिव जोन घोषित किया गया है। प्रतियाँ संलग्न हैं।
3. यह कि नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र के खसरा नम्बर-3 ग्राम बीड-पापड, वनपाल नका मायला बाग में वगैर सक्षम अनुमति प्राप्त किये विधि विरुद्ध वन भूमि को रिको के नाम भू-परिवर्तन किया गया। वन एवं वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 20 के तहत भू-परिवर्तन पर रोक लगाई गई है जो कि वन्य एवं वन्यजीव संरक्षक अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। जमाबन्द की प्रतियाँ संलग्न है, अवलोकन फरमावें।
4. यह कि रिको द्वारा अपने पत्रांक-274 दिनांक 24.12.2021 को बीड-पापड खसरा नं.3 में व्यावसायिक गतिविधियों हेतु प्रस्तावित किया। इस सम्बन्ध में रिको द्वारा न तो वर्ल्ड लाईफ क्लियरेंस करवाया गया एवं ना ही फोरेस्ट क्लियरेंस करवाया गया। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभ्यारण्य क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर तक किसी प्रकार की व्यावसायिक

गतिविधियाँ अनुमत नहीं है। जो कि स्पष्ट वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अवमानना की श्रेणी में आता है।

5. यह कि इस सम्बन्ध में श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्यजीव नाहरगढ जयपुर द्वारा समय-समय पर रिफो के सक्षम जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। संलग्न पत्रांक 467 दिनांक 28.12.2021, पत्रांक 65 दिनांक 30.01.2022, पत्रांक 3340 दिनांक 02.02.2022 एवं पत्रांक 106 दिनांक 10.01.2022
6. यह कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 19.01.2022 एवं 15.06.2022 को प्रार्थना पत्र द्वारा विभाग को अवगत करवाया जा चुका है।
7. यह कि प्रार्थी द्वारा जरिये मोबाईल सूचना देकर श्रीमान उपवन संरक्षक, वन्यजीव चिडियाघर, जयपुर, सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव, नाहरगढ, जयपुर को अवगत करवाया गया कि रिफो द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में गैरवानिकी गतिविधि संचालित की जा रही है जिसके पश्चात श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव, नाहरगढ जयपुर द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कर नाला निर्माण में कार्यरत सीमेंट मिक्चर ट्रक जो जब्त किया तथा यजस्थान वन अधिनियम की धारा 26 में अपराध दर्ज किया गया जो कि अपूर्ण कार्यवाही थी तथा शेष अपराध की धाराओं का उल्लेख दर्ज एफ.आई.आर. में नहीं किया गया। प्रकरण में नियम विरुद्ध कम्पाउण्ड कर जब्त वाहन को छोड़ दिया गया। जो संलग्न है, अवलोकन फरमावें।
8. यह कि दिनांक 08.06.2022 को श्रीमान उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर, जयपुर के निर्देशन पर विभागीय सर्वेयर सुमित सैनी एवं नाका प्रभारी मायला बाग गौरव राठी द्वारा सीमांकन किया गया जिसमें रिफो के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जो संलग्न है, अवलोकन फरमावें।
9. यह कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त हुई जिसमें रिफो द्वारा नाला निर्माण हेतु वन विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। संलग्न पत्रांक-112 दिनांक 14.02.2022

10. यह कि श्रीमान उपवन संरक्षण वन्यजीव चिडियाघर, जयपुर द्वारा अपने पत्रांक-3234 दिनांक 25.04.2022 के द्वारा तथ्यात्मक-रिपोर्ट तैयार की जो संलग्न है, अवलोकन फरमावें।
11. यह कि यह तथ्य एवं स्पष्ट साक्ष्य है कि खसरा नं.03 नाहरगढ, वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र का हिस्सा है तथा उक्त खसरे को वन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः विभाग में दर्ज करवाने हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई जो कि लोक सेवक के आचरण के विरुद्ध है।
12. यह हिक नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य के वनखण्ड बड़ी लाईन-54 के लगती वन अभ्यारण्य भूमि पर औद्योगिक ईकाइयों द्वारा निस्तारित अपशिष्ट पदार्थों को डाला जा रहा है जिससे कि वन अभ्यारण्य क्षेत्र वन एवं वन्यजीवों के लिए एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। संलग्न फोटो प्रतियाँ।
13. यह कि रिको द्वारा वन अभ्यारण्य क्षेत्र में नालों द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट तरल पदार्थों को निस्तारण किया जा रहा है जो कि वन एवं वन्यजीवों के लिए हानिकारक है। फोटो प्रतियाँ संलग्न हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि नाहरगढ अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र के खसरा नं.03 को पुनः वन विभाग के नाम से अमल दराज करवाया जावे। दर्ज एफ.आई.आर. में वन एवं वन्यजीव संरक्षण की धाराओं का उल्लेख कर रिको के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे एवं सक्षम न्यायालय में चालान तथा अभ्यारण्य क्षेत्र की लगती भूमि पर गन्दा पानी छोड़ने एवं कचरा निस्तारण करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

दिनांक:- 12.09.2022


(कमल तिवाड़ी)

29 शंकर कालोनी, हिदा की मोरी
रामगंज, जयपुर-302003

क्रमांक :- 244

दिनांक :- 23.09.22

निमित्त,

Amnd. A/16

✓ उप-वन संरक्षक (वन्य जीव) चिड़ियाघर जयपुर

विषय :- वन पाल नाका मायलाबाग वन क्षेत्र में रिको द्वारा नाहरगढ़ (वन्य जीव) अभ्यारण्य क्षेत्र में बगेर वन-विभाग की अनुमति के नाले का निर्माण व्यवसायिक एवं गैर वानिकि गतिविधि करने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्य जीव) चिड़ियाघर जयपुर का पत्र क्रमांक 7694 दिनांक 21.09.2022 के क्रम में तथ्यात्मक रिपोर्ट

FCA/महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में तथ्यो की जाँच कर शिकायत में उठाए गए

बिन्दुओं की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:-
04/11/2022

नाहरगढ़ अभ्यारण्य की वास्तविक स्थिति :- नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य आदेश क्रमांक 07(58) क/61 दिनांक 21.11.1961 द्वारा राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत वन खण्ड आमेर 54 की भूमि को दिनांक 15.02.1961 से आरक्षित वन घोषित करने हेतु गजर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तथा राज्य आदेश क्रमांक एफ11(39) राजस्थान 8/80 दिनांक 22.09.1980 द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन उक्त क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और उक्त अभ्यारण्य क्षेत्र की चारों सीमाओं के भी निश्चित किया गया है। यहां यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा पत्रांक आर 6(24)93/6784 दिनांक 21.08.1998 वन्य जीव अभ्यारण्य को अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में उधघोषित किया गया है। तथा दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को ईको-सेन्सटीव जोन भी घोषित किया जा चुका है। उक्त अभ्यारण्य की सीमा एवं जयपुर शहर की सीमा आपस में एक दूसरे की मिल चुकी है।

परिवादी द्वारा उठाए गए तथ्यो का बिंदु वार जवाब।

बिन्दू संख्या 1 :- परिवादी द्वारा अपनी पूर्व पत्रों/शिकायतों के बारे में लेख किया गया है तथा बताया गया है कि प्रकरण में अभी तक कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई।

बिन्दू संख्या 2 :- परिवादी द्वारा अपने बिंदु संख्या 2 में नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की अधिसूचना का वर्णन किया गया है। जो कि रिकार्ड के अनुसार सही है स्वीकार योग्य है।

बिन्दू संख्या 3 :- परिवादी द्वारा अपने परिवाद के बिंदु संख्या 3 में कुछ तथ्यो को दस्तावेजों के साथ बताया है। परिवादी द्वारा प्रेषित खसरा नं. 3 की जमाबंदी व कार्यालय रिकार्ड का परिक्षण किया गया। पाया गया है कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की अधिसूचना 21.11.1961 के अनुसार वर्ष 1961 में खसरा नं. 3 नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की भूमि थी। उक्त भूमि खसरा नं. 3 का राज्य आदेश क्रमांक ए 70 दिनांक 30.01.1971 के अनुसार औद्योगिक निगम (रिको) को देने हेतु वन खण्ड की भूमि से हस्तान्तरित किया गया था। (सलंगन) राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 3 की जमाबंदी में लेखना कि उक्त खसरा नं. का नामांतरण हिन्दी वर्ष सम्वत 1961 के तहत प्रमाणित फाटी प्रांत



2069-2072 अग्रेजी वर्ष 2012-2015 में किया गया। यह तथ्य भी सामने है कि राज्य आदेश क्रमांक ए-70 दिनांक 30.01.1971 के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि का रूपान्तरण किया गया है।

बिन्दू संख्या 4 :- परिवादी द्वारा अपने परिवाद के बिन्दू संख्या 4 में उठाए गए तथ्यों को अधिनियमों एवं अधिसूचनों के अंतर्गत बनाए गए नियमों का वर्णन किया गया है। उक्त बिंदू में लेख किया गया है कि ओद्योगिक निगम / रिको द्वारा अभ्यारण्य सीमा के ऊपर/पास में ओद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। जिसका वाइल्ड लाईफ किलिरेन्स नहीं है। उक्त तथ्य सही है।

बिन्दू संख्या 5 :- कार्यालय रिकोर्ड के अनुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के पत्र क्रमांक 467 दिनांक 28.12.2021, पत्रांक 65 दिनांक 31.01.2022, पत्रांक 3340 दिनांक 02.02.2022 एवं पत्रांक 106 दिनांक 10.01.2022 द्वारा ओद्योगिक निगम/ रिको को पत्रों द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि आपके द्वारा वन अभ्यारण्य क्षेत्र में गैर वानी की गतिविधियां की जा रही हैं। जिसे तत्काल रोका जावे।

बिन्दू संख्या 6 :- परिवादी द्वारा अपने परिवाद के बिन्दू संख्या 6 में अपने पूर्व पत्रों का हवाला देकर लेख किया है कि समय समय पर ओद्योगिक निगम/रिको द्वारा कर रहे अवैध गतिविधियों की सूचना दी गई।

बिन्दू संख्या 7 :- परिवादी द्वारा अपने परिवाद के बिन्दू संख्या 7 में जो तथ्य लिखे गए हैं वह कार्यालय रिकोर्ड एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के अनुसार है। और श्री कमल तिवाड़ी द्वारा सूचना दी गई, सूचना प्राप्त होने पर सहायक वन संरक्षक वन्य जीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य द्वारा तत्काल बीड़ पापड़ खसरा नं. 3 का मोका देखा गया। मोके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव नाहरगढ़ को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तथा श्रीमान उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया गया।

बिन्दू संख्या 8 :- परिवादी द्वारा अपने परिवाद के बिन्दू संख्या 8 में लेख किया गया है कि उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर की निर्देशानुसार विभाग का सर्वेयर श्री सुमीत सैनी एवं नाका प्रभारी मायला बाग गौरव राठी द्वारा मोके का सीमांकन किया गया। जिसमें ओद्योगिक निगम/रिको के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिन्होंने पंचनामा तैयार किया गया। जिसमें खसरा नं. 3 की भूमि से वन खण्ड बड़ी लाइन आमेर 54 में शामिल ग्राम बीड़ पापड़ के खसरा नं. 10 (नाला) की वन सीमा लगती हुई बताया गया है वन भूमि के खसरा नं. 10 के लगभग 1100वर्ग स्का. भूमि पर मिट्टी डालकर समतल किया जाना पाया गया।

बिन्दू संख्या 9 :- परिवादी द्वारा अपने परिवाद के बिन्दू संख्या 9 में लेख किया गया है कि परिवादी श्री कमल तिवाड़ी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत ओद्योगिक निगम/रिको से जानकारी प्राप्त की रिको/ओद्योगिक निगम द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 112 दिनांक 14.02.2022 द्वारा लेख किया गया है कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में नाला निर्माण हेतु वन विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई। जो कि स्वीकार किया है।

बिन्दू संख्या 10 :- परिवादी द्वारा अपने परिवाद के बिन्दू संख्या 10 में लेख किया गया है कि श्रीमान उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 3234 दिनांक 25.04.2022 द्वारा विवादित भूमि/प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की जिसमें खसरा नं. 3 में पिलोटींग होना पाया गया।

बिन्दू संख्या 11 :- रिकोर्ड अनुसार

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
प्रति
स.लो.सू. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर,

बिन्दू संख्या 12 :- परिवादी द्वारा अपने पत्र 122 के बिन्दू संख्या 12 में लेख किया गया है कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के वन खण्ड बड़ी लाइन 54 के लगती हुई वन अभ्यारण्य भूमि पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा निस्तारित अवशिष्ट पदार्थों को डाला जा रहा है। कमल तिवाड़ी द्वारा सलग्न फोटो प्रतियां दी गई हैं। जिससे कि वन अभ्यारण्य क्षेत्र में विचरण करने वाले वन्य जीवों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर विपरीत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। परिवादी द्वारा बड़ा गंभीर आरोप औद्योगिक निगम/रिको पर लगाया गया है। औद्योगिक निगम/रिको को कोई अधिकार नहीं है कि औद्योगिक अवशिष्ट तरल पदार्थों को अभ्यारण्य के अंदर छोड़ा जावे उनके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एक आपराधिक कृत्य है। तथा वन्य जीव एवं पर्यावरण की भारी नुकसान की श्रेणी में आता है। जो कि स्वीकार योग्य है।

बिन्दू संख्या 13 :- परिवादी द्वारा अपने परिवाद के बिन्दू संख्या 13 अपने बिन्दू संख्या 12 के आरोपों को दोहराया गया है। जिसका वर्णन/तथ्यात्मक रिपोर्ट बिन्दू संख्या 12 में कर लिया है। तथ्य सही व स्वीकार योग्य है।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र प्रेषित कर निवेदन किया है कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र के खसरा नं. 3 को पुनः वन विभाग के नाम से अमल दराज कराया जावे। दर्ज एफ.आई. आर में वन एवं वन्य जीव संरक्षक की धाराओं का उल्लेख कर रिको के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे। एवं सक्षम न्यायालय में चालान, अभ्यारण्य क्षेत्र की लगती भूमि पर गंदा पानी छोड़ने एवं कचरा निस्तारण करने के लिये जिम्मेदार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

विशेष कथन :- खसरा नं. 3 की वर्तमान जमाबंदी जो कि हिंदी सम्वत वर्ष 2069-2072 अंग्रेजी वर्ष 2012-2015 कास्तकार राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन के नाम अमल दराज है। जो कि राज्य आदेश ए - 70 दिनांक 30.01.1971 की पालना में किया गया था। पूर्व में खसरा नं. 3 जिसका कुल क्षेत्रफल 131-09 हेक्टेयर है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की अधिसूचना 21.11.1961 के अनुसार वर्ष 1961 में खसरा नं. 3 के आरक्षित वन भूमि का हिस्सा रहा है। उक्त खसरा नं. 3 का हस्तान्तरण वर्तमान जमाबंदी के अनुसार हिन्दी सम्वत वर्ष 2069-2072 अंग्रेजी वर्ष 2012-2015 में किया गया है। यह स्पष्ट लेख करना आवश्यक है कि राज्य आदेश क्रमांक एफ 11 (39) राजस्थान 8/80 दिनांक 22.09.1980 द्वारा वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18 के उपबंधों के अधिन उक्त क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और वर्ष 1980 के पश्चात नाहरगढ़ अभ्यारण्य की भूमि का भू परिवर्तन/हस्तानान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। यदि भू परिवर्तन किया जाता है तो वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

यहां यह भी बताना आवश्यक है कि मुझ ~~द्वारा~~ हस्ताक्षर कर्ता द्वारा कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं संयुक्त सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। सर्वे रिपोर्ट अनुसार बताया गया कि खसरा नं. 3 एवं खसरा नं. 10 में रिको द्वारा नाले का निर्माण, दिवार, रोड़, भूमि समतल करने का कार्य किया जा रहा है। खसरा नं 10 वर्तमान में वन विभाग का खसरा है। जिसपर रिको द्वारा कार्य किया जा रहा है।

श्रीमान उप वन संरक्षक के चिड़ियाघर जयपुर के तथ्यात्मक रिपोर्ट में खसरा नं. 3 का उल्लेख किया गया है। विभाग के सर्वेयर श्री सुमित सैनी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रिको के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हैं कि व अभ्यारण्य भूमि में गन्दे पानी को फिल्टर कर वन अभ्यारण्य भूमि में छोड़े। अभ्यारण्य भूमि पर क्या अनुमत है क्या नहीं यह उच्च कार्यालय द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। मोखिक निर्देश ^{सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित} किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होते हैं।




स.ल.सू. अधि.

क्षेत्रीय वन अधिकारी को यह जानकारी थी 123 को द्वारा जिस खसरा नं. 3 व खसरा नं. 10 में निर्माण किया जा रहा है, तो उनके द्वारा एफ.आई.आर. में मात्र इ.एस.जेड का अपराध माना तथा एफ.आई.आर में वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं का उल्लेख नहीं किया गया। अभ्यारण्य भूमि पर नाले का निर्माण पूर्ण हो चुका था और भूमि समतल करने का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका था, जो कि काफी समय से जारी था। दर्ज एफ.आई.आर में क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा प्रकरण में उचित धाराओं को नहीं लगाया गया।

अनुशंशा :- मुझ अशो हस्ताक्षर कर्ता द्वारा प्रकरण के तथ्यों मोका रिपोर्ट एवं कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार अनुशंशा करता हू कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के खसरा नं. 3 की भूमि को पुनः विभाग के नाम अमल दराज कराने हेतु सक्षम अधिकारी व कार्यालय को पत्र लिखा जावे। खसरा नं. 3 व 10 की भूमि पर वन विभाग का साइन बोर्ड लगाया जावे। निर्माण कार्य नहीं हो इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी को पाबंद किया जावे। क्षेत्रीय वन अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि एफ.आई.आर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का धाराओं का उल्लेख कर सक्षम न्यायालय में चालान किया जावे। एवं वन अभ्यारण्य क्षेत्र में कचरा व अवशिष्ट पदार्थ निस्तारण करने के लिये कठोर कार्यवाही की जावे।

धन्यवाद

भवदीय


सहायक वन संरक्षक

वन्य जीव नाहरगढ़

अभ्यारण्य जयपुर

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति
सहायक वन संरक्षक, जयपुर

124

Amma A/17







कृष्ण शर्मा

एडवोकेट
178 ओल्ड बिल्डिंग
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

कार्यालय व निवास -
9, जैन गार्डन,
गंगापोल गेट के बाहर,
बदनपुरा, जयपुर
मोबाईल नं0 9982765049

क्रमांक :

दिनांक : 31-10-2022

बनाम

- 1 युनियन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, भारत सरकार
- 2 मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर।
- 3 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर
- 5 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- 6 मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- 7 उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर, जयपुर।
- 8 सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ, चिडिया घर जयपुर, जिला जयपुर।
- 9 क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव नाहरगढ, सीकर रोड, जयपुर।
- 10 सदस्य सचिव, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- 11 प्रबन्धक निदेशक, रिको एवं पदेन आयुक्त जयपुर।
- 12 जिला कलेक्टर, जयपुर, कलेक्ट्रेट परिसर, जयपुर।

महोदय,

मैं आपको मेरे अभिभाष्य श्री कमल तिवाडी पुत्र श्री शम्भुदयाल तिवाडी निवासी- 29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर के बताये गये तथ्यों व उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात के आधार पर निम्नानुसार नोटिस प्रेषित है :-

- 1 यह कि मेरा अभिभाष्य स्थानीय क्षेत्र में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सम्बर्धन, सुरक्षा हेतु कार्य करता है तथा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा में विशेष रुचि रखता है।
- 2 यह कि नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण राज्य आदेश क्रमांक 07 (58) क/61 दिनांक 21-11-1961 द्वारा राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत वन खण्ड आमेर, 54 की भूमि को दिनांक 15-01-1962 से आरक्षित वन घोषित करने हेतु गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा राज्य आदेश क्रमांक एफ 11 (39) राजस्थान 8/80 दिनांक 22-09-1980 द्वारा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन उक्त क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण घोषित किया गया है, जिसे नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण का नाम दिया गया है और उक्त अभ्यारण क्षेत्र की चारों सीमाओं को भी निश्चित किया गया है। यहां यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक आर. 6/(24) 93/6784 दिनांक 21-08-1998 द्वारा वन्यजीव जयपुर अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण को उदघोषित किया गया तथा दिनांक 03-11-2019 की अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को ईको सेन्सटीव जोन क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है।
- 3 यह कि आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा में आने वाले खसरा संख्या 3 ग्राम बीड पापड वनपाल नाका मायला बाग की भूमि को रिको द्वारा विधिविरुद्ध रूप से अधिग्रहित कर लिया, इस सम्बन्ध में वन विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा न तो वाईड लाईफ क्लीयरन्स अनुज्ञात किया गया और न ही फोरेस्ट क्लीयरन्स करवाया बल्कि व्यवसायिक एवं गैरवानिकी गतिविधि संचालित करने के उद्देश्य से हरे वृक्षों को भी अवैध रूप से काटा गया।
- 4 यह कि रिको को औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना के लिये आवंटित ग्राम बीड पापड के खसरा संख्या 3 की भूमि पर 35 भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। यह भूमि नाले से लगती हुई भूमि है तथा वन खण्ड बड़ी

लाईन आमेर-54 की आरक्षित वन भूमि है, जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21-11-1961 को आरक्षित वन घोषित किया गया है। उक्त वन खण्ड की भूमि में से कुल 14 ग्रामों की 5240 हे० भूमि को उनकी परिस्थिति एवं प्राणी जातीये, वनस्पति, भू संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी महत्व को ध्यान में रखते हुये राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 22-09-1980 की अधिसूचना द्वारा नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। उक्त अधिसूचना के अनुसार नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा नाहरी का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व ग्राम किशन बाग, बीड पापड व नाला अमानीशाह से पश्चिमी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व ग्राम जेसला, आकेडा, सिस्वावास, बडा गांव व समीपवर्ती वन क्षेत्र बडागांव खसरा संख्या 82 से 85 व खसरा संख्या 83 का उत्तरी पश्चिम कोना व सीमा वन क्षेत्र बीड तालेडा समीपवर्ती वन क्षेत्र ग्राम दौलतपुरा खसरा संख्या 1092 से 1093 निर्धारित की गई। उक्तानुसार नाले की उक्त भूमि नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में आती है तथा रिको द्वारा अनुपचारित बहिस्त्राव दो पक्के नालों के माध्यम से वन्यजीव अभयारण्य की भूमि पर छोडा जा रहा है, जो वन्यजीवों, वनस्पति एवं वन भूमि के लिये हानिकारक है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त तथ्य की पुष्टि उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट से होती है।

- 5 यह कि क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ ने दिनांक 31-01-2022 को श्री महेन्द्र सिंह वरिष्ठ प्रबन्धक रिको विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र को पत्र प्रेषित कर नाहरगढ अभयारण्य जयपुर की आरक्षित वन भूमि में अनोपचारित बहिस्त्राव का निस्तारण रोकने व पक्के नाले को हटाने हेतु निर्देशित किया। इससे पूर्व क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ अभयारण्य जयपुर द्वारा भी मैनेजर रिको को पत्र लिखकर वन भूमि में करवाये जा रहे कार्य व नाला निर्माण कार्य के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया

किन्तु आप द्वारा कोई तथ्यात्मक स्थिति व दस्तावेजात उपलब्ध नहीं करवाये।

- 6 यह कि प्रेषिती संख्या 11 के द्वारा संचालित की जाने वाली गैरवानिकी व वाणिज्यक गतिविधियों में प्रेषिती संख्या 3 लगायत 9 का सक्रिय सहयोग रहा है तथा उन्होंने वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 28 के प्रावधानों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से अनुमति प्रदान की जबकि उक्त धारा 28 में वाणिज्यक गतिविधियों को किसी भी रूप में अनुमत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रेषिती संख्या 3 लगायत 9 भी प्रेषिती संख्या 11 द्वारा किये जा रहे अवैध कार्यों में सक्रिय रूप से सहयोगी रहे हैं।
- 7 यह कि प्रेषिती संख्या 3 लगायत 9 द्वारा वास्तविक तथ्यों को जानते हुये तथा यह जानते हुये कि प्रेषिती संख्या 11 रिको प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कोई विधिक हैसियत व अधिकार नहीं रखती है, उसकी हैसियत मात्र अतिक्रमी की है, इसके बावजूद प्रेषिती संख्या 3 लगायत 9 द्वारा प्रेषिती संख्या 11 को अवैध रूप से व विधिविरुद्ध रूप से आरक्षित वन भूमि को रिको को आवंटित कर दिया, जो उनकी विधिविरुद्ध गतिविधियों को प्रकट करता है।
- 8 यह कि उक्त प्रेषिती संख्या 11 ने न केवल उक्त भूमि पर अवैध रूप से नाले का निर्माण करवाया बल्कि अपशिष्ट पदार्थों का प्रवहन भी अभयारण्य क्षेत्र की भूमि में किया जा रहा है, जिससे वन व वन्यजीवों को खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसके लिये सभी प्रेषितीगण व्यक्तिशः व सयुक्ततः उत्तरदायी है।
- 9 यह कि मेरे अभिभाष्य ने दिनांक 19-01-2022, 15-06-2022 तथा दिनांक 12-09-2022 को आपके समक्ष लिखित शिकायत कर नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में की जा रही गैरवानिकी व व्यवसायिक संचालन रोकने का निवेदन किया तथा गंदा पानी वन भूमि में नहीं छोड़ने व कचरे का समुचित निस्तारण करने की प्रार्थना की किन्तु आप द्वारा मेरे अभिभाष्य के लिखित शिकायत के समुचित निदान के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही न की गई।

- 10 यह कि मेरे अभिभाष्य द्वारा की गई शिकायतों पर कार्यालय सहायक वन संरक्षक (वन्यजीव) नाहरगढ अभयारण्य जयपुर द्वारा एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें यह अनुशंसा की गई कि खसरा संख्या 3 व खसरा संख्या 10 ग्राम बीड पापड की भूमि को पुनः वन विभाग के नाम अमल दराज करावे तथा उक्त भूमि पर वन विभाग का बोर्ड लगाया जावे तथा निर्माण कार्य नहीं करने हेतु क्षेत्रीय वनअधिकारी को पाबंद किया जावे तथा उल्लघन की दशा में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही दर्ज करने व कचरे व अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण वन अभयारण्य क्षेत्र में नहीं करने की कार्यवाही अमल में लायी जावे किन्तु उक्त अनुशंसा के पश्चात भी आप द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही उक्त समस्या के निदान के लिये नहीं की गई है, जो आपकी उदासीनता को स्पष्टतः प्रकट करता है।
- 11 यह कि वन विभाग के समस्त सक्षम अधिकारियों ने उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने व व्यवसायिक गतिविधियों को रोकने व गैरवानिकी गतिविधियों को रोकने के लिये अतिक्रमियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही अमल में नहीं लायी है, जिसके कारण वन भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण हो रहा है तथा वन भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन को प्रोत्साहन मिल रहा है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप सभी सयुक्ततः अपने अपने विधिक दायित्व का निर्वहन करते हुये खसरा संख्या 3 व खसरा संख्या 10 वाके ग्राम बीड पापड, जयपुर की भूमि को पुनः वन विभाग के नाम दर्ज करे तथा उक्त भूमि पर वन विभाग का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करे तथा वन विभाग की भूमि पर छोड़े जा रहे अपशिष्ट पदार्थों का प्रवहन रोकें तथा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर की जा रही समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन तुरन्त प्रभाव से रोके तथा अतिक्रमियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लावे अन्यथा मेरे अभिभाष्य को आप सब के विरुद्ध सयुक्ततः नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के समक्ष प्रभावी विधिक कार्यवाही करने के लिये विवश होना पडेगा, जिसमें

होने वाले सम्पूर्ण हर्जे खर्चे व परिणामों की जिम्मेदारी आप सभी की होगी।

जयपुर

भवदीय

दिनांक 31-10-2022

(कृष्ण शर्मा)

नोट :- इस विधिक नोटिस की एक कार्बन प्रति मैंने मेरे कार्यालय में बतौर साक्ष्य सुरक्षित रख ली है ताकि सनद रहें एवं वक्त जरूरत काम आवें।

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 97 OF 2022

Kamal Tiwari

VERSUS

Union of India & others

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF DOCUMENTS

I, Kamal Tiwari son of Shri Shambhu Dayal Tiwari, aged about 45 years, resident of 29 Shankar Colony Heeda Ki Mori, Ramganj Bazar, Jaipur (Rajasthan), do hereby take oath and state as under:-

1. That I am applicant in this case and am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That annexed documents Annexure-A/1 to Annexure-A/18 are true and correct photo copies of its original/office copies, which I believed to be true and correct.

Sworn & Signed before me

OATH COMMISSIONER
JAIPUR METROPOLITAN COURTS, JAIPUR

63/12/22

VERIFICATION

I, above named deponent, do hereby verify that contents of para no.1 to 2 of the above affidavit are true & correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed and no part of it is false. SO HELP ME GOD.

Identified by

[Signature]

Kamal Tiwari
DEPONENT

Kamal Tiwari
DEPONENT

अभिभाषक-पत्र

(ऑर्डर 3 रूल 4 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय National green tribunal (CZ) Bhabal (राजस्थान)
 संख्या बाद Original Application No. 97/22 सन 05/12/22 तारीख प्रस्तुती
 वादी/अभियोगी
 Kamal Tiwari आवेदक/अपीलाण्ट

विरुद्ध

Union of India & Ors. प्रतिवादी/अभियुक्त
 प्रतिपक्षी/रेस्पोंडेन्ट

वाद/अपील

मैं/हम Kamal Tiwari s/o Sh. Shambhu dayal Tiwari, A/o- 29
 Shankar colony heeda ki Masi Ramgaraj Jaipur.

इस वाद ने अभिभाषक द्वारा समर्थन करना स्वीकार है। मैं/हम Keethan Sharma, J.N. Sharma
 Pawan Sharma Pro Bono Corp रुपये शुल्क पर

अभिभाषक नियुक्त कर प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं कि उक्त अभिभाषक वाद-वादोत्तर अपील आवेदन-पत्र पुनरावलोकन, पुनः विचार पुनः स्थापना संशोधन व अभियोग पत्रिका पर हस्ताक्षर करें और पेश करें। प्रमाणित प्रतिलिपि लें, उत्तराधिकारी होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर समर्थन करें, संयुक्त व्यापार समिति की राय पुस्तांकन करावें, शपथ-पत्र प्रस्तुत करें, रामझौते प्रतिभूति देकर प्रमाणीकरण करावें। कोष न्यायालय व अन्य विभाग से रूपया लेकर प्रमाणित करावें व पंच निश्चय कर और पंचायती निर्णय प्रमाणीकरण करावें। किसी डिग्री का परिवर्तन करावें और प्रमाण-पत्र घोष विक्रय लें निरीक्षण पत्र संग्रह करें अन्य अभिभाषक प्रतिनिधि निश्चित शुल्क पर पक्ष समर्थन के लिए नियत करें व अन्य कार्यवाही अभिभाषकजी जो करें वह अपने स्वयं के द्वारा की गई कार्यवाही के समान स्वीकार होगा।

दिनांक 05/12/22

टिप्पणी : वाद के बीच मैं हानि व व्यय जो प्रतिपक्ष से मिले वह अभिभाषक जी का होगा।

निश्चित तिथि तक पूरा शुल्क न मिलने पर अभिभाषकजी को अधिकार होगा कि पक्ष का समर्थन करें न करें व न्यायालय शुल्क अभिभाषक पत्र के साथ है, हस्ताक्षर सुन व समझ कर किये।

साक्षी:-

(1) R/895/2000 (1) Kamal Tiwari
 (2) T. S. G. D. S. H. (2)
 (3) P. A. M. (3)
 R/1107/1961
 R/3864/19